सत्यमेव जयते

भारत सरकार/Government of India

अन्तरिक्ष विभाग/Department of Space

अन्तरिक्ष विभाग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1976

DEPARTMENT OF SPACE EMPLOYEES' (CLASSIFICATION, CONTROL AND APPEAL RULES, 1976)

(2013 तक संशोधित/amended up to March 2013)

चौथा संस्करण
Fourth Edition

मार्च/March
2013

भारत सरकार
अंतरिक्ष विभाग
***

आमुख

अंतरिक्ष विभाग (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1976 के तीसरे अंक को दिसंबर 2001 तक जारी आदेशों/संशोधनों को शामिल करते हुए प्रकाशित किया गया था। तब से अब तक कई संशोधन और किए गए हैं और इन नियमों में नए उपबंध जोड़े गए हैं; सबसे अंतिम संशोधन अं.वि. कर्मचारी (सी.सी.ए.) संशोधन नियम, 2013 द्वारा जारी किया गया, जो दिनांकः 6 मार्च 2013 के अं.वि. की अधिसूचना सं. ई.14015/1/2012-IV में दिया गया था और भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ था। ऐसे सभी संशोधन नियमों को शामिल करते हुए अं.वि. कर्मचारी (सी.सी.ए.) नियम, 1976 का चौथा अंक संदर्भ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

(ए. विजय आनंद)
संयुक्त सचिव

March 2013

Government of India
Department of Space

* * *

PREFACE

The 3rd Edition of the Department of Space Employees' (Classification, Control and Appeal) Rules, 1976, was published incorporating the orders/amendments issued up to December 2001. Since then, a number of amendments have been made and new clauses added to these Rules; the last such amendments were issued vide DOS Employees' (CCA) Amendments Rules, 2013, contained in DOS Notification No. E. 14015/1/2012-IV dated March 06, 2013, and published in the Gazette of India (Extraordinary). The 4th Edition of the DOS Employees' (CCA) Rules, 1976, incorporating all such Amendment Rules is being printed in diglot format for reference and necessary action.

March 2013

(A. Vijay Anand)
Joint Secretary

भारत सरकार
अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर - 560009
मई 5, 1976

सं. 2/9(12)/74- III (I)

सेवा में,
सभी संबंधित

महोदय,

विषय: कार्मिक सेवा विनियम - अन्तरिक्ष विभाग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1976 को अग्रेषित करने के बारे में।

* * * * * * *

मुझे, दिनांक अप्रैल 1, 1976 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, अनुभाग-3, उप-अनुभाग(ii) की एक प्रति जिसमें अन्तरिक्ष विभाग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1976 हैं, को आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजने का निदेश हुआ है।

इस संबंध में, मुझे, अधिसूचना के नियम 1(2) की ओर ध्यान आकर्षित करना है जिसके अनुसार ये नियम अप्रैल 1, 1976 अर्थात् जिस दिन इनको भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया, से प्रभावी हो गये हैं।

भवदीय,
हस्ता/-
अवर सचिव, भारत सरकार

Government of India
Department of Space

Bangalore - 560009
May 5, 1976

No. 2/9(12)/74-III (I)

To
All Concerned

Sir,

Subject: Personnel Service Regulation – Department of Space Employees' (Classification, Control and Appeal) Rules, 1976 – forwarding of.

* * * * * * *

I am directed to forward herewith a copy of the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated April 1, 1976 containing the Department of Space Employees' (Classification, Control and Appeal) Rules, 1976 for your information and necessary action.

In this connection, I am to invite your attention to Rule 1(2) of the Notification according to which these rules have come into force with effect from April 1, 1976, the date on which it has been published in the Gazette of India.

Yours faithfully,
Sd/-
Under Secretary to the Government of India

अन्तरिक्ष विभाग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1976

विषयसूची

नियम		पृष्ठ
	भाग - I: साधारण	
1.	संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	1
2.	परिभाषाएं	1
3.	लागू होना	3
	भाग - II: पदों का वर्गीकरण	
4.	सिविल पदों का वर्गीकरण	4
	भाग - III: नियुक्ति प्राधिकारी	
5.	सिविल पदों पर नियुक्तियाँ - ग्रुप 'क'	4
6.	अन्य सिविल पदों पर नियुक्तियाँ	4
	भाग - IV: निलम्बन	
7.	निलम्बन	5
	भाग - V: शास्तियाँ और अनुशासनिक प्राधिकारी	
8.	शास्तियाँ	8
9.	अनुशासनिक प्राधिकारी	11
10.	कार्यवाहियाँ संस्थित करने के लिए प्राधिकारी	12
	भाग - VI : शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया	
11.	बड़ी शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया	12
12.	जाँच रिपोर्ट पर कार्रवाई	22

DEPARTMENT OF SPACE EMPLOYEES' (CLASSIFICATION, CONTROL AND APPEAL) RULES, 1976

CONTENTS

Rule		Page
	PART – I : GENERAL	
1.	Short title and commencement	1
2.	Definitions	1
3.	Application	3
	PART – II : CLASSIFICATION OF POSTS	
4.	Classification of Civil Posts	4
	PART – III : APPOINTING AUTHORITY	
5.	Appointments to Civil Posts – Group 'A'	4
6.	Appointments to other Civil Posts	4
	PART – IV : SUSPENSION	
7.	Suspension	5
	PART – V : PENALTIES AND DISCIPLINARY AUTHORITIES	
8.	Penalties	8
9.	Disciplinary Authorities	11
10.	Authority to institute proceedings	12
	PART – VI : PROCEDURE FOR IMPOSING PENALTIES	
11.	Procedure for imposing major penalties	12
12.	Action on the Inquiry Report	22

13. छोटी शास्तियां अधिरोपित करने की प्रक्रिया 24
14. आदेशों की संसूचना 25
15. सामान्य कार्यवाहियां 26
16. कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया 26
17. केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों, राज्य सरकारों आदि में भेजे गए अधिकारियों के बारे में उपबन्ध 27
18. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से या राज्य सरकार आदि से उधार लिए गए अधिकारियों की बाबत उपबंध 28

भाग - VII: अपीलें

19. ऐसे आदेश जिनके विरुद्ध अपील नहीं होगी 29
20. ऐसे आदेश जिनके विरुद्ध अपील होगी 29
21. अपील प्राधिकारी 31
22. अपील के लिए परिसीमा काल 32
23. अपील का प्रारूप और अन्तर्वस्तुएँ 32
24. अपील पर विचार किया जाना 33
25. अपील में आदेशों का कार्यान्वयन 35

भाग - VIII : परिशोधन और समीक्षा

26. परिशोधन 35
26-क. पुनरीक्षण 37

भाग - IX : विविध

27. आदेशों, सूचनाओं आदि की तामील 38
28. समय परिसीमा को शिथिल करने और विलम्ब को माफ करने का अधिकार 38

13 Procedure for imposing minor penalties 24
14 Communication of Orders 25
15 Common Proceedings 26
16 Special Procedure in certain cases 26
17 Provision regarding Officers lent to other Central Government Departments, State Governments, etc. 27
18 Provision regarding officers borrowed from any other Department of the Central Government or from a State Government, etc. 28

PART – VII : APPEALS

19 Orders against which no appeal lies 29
20 Orders against which appeal lies 29
21 Appellate Authorities 31
22 Period of limitation of appeals 32
23 Form and contents of appeal 32
24 Consideration of appeal 33
25 Implementation of orders in appeal 35

PART – VIII: REVISION AND REVIEW

26 Revision 35
26-A Review 37

PART – IX: MISCELLANEOUS

27 Service of orders, notices, etc. 38
28 Power to relax time-limit and to condone delay 38

29. आयोग की सलाह की प्रति का दिया जाना 38
30. शंकाओं का निराकरण 38
अन्तरिक्ष विभाग के अन्तर्गत आनेवाले सिविल पदों का वर्गीकरण 39

अनुसूची

नियुक्ति, अनुशासनिक और अपील प्राधिकारी

(1) अन्तरिक्ष विभाग सचिवालय 40
(2) अन्तरिक्ष विभाग (लेखा) बेंगलूर 41
(3) अन्तरिक्ष विभाग (लेखा परिक्षा) 42
(4) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मुख्यालय 43
(5) विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र (वी.एस.एस.सी.) 44
(6) सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र-श्रीहरिकोटा (एस.डी.एस.सी.-शार) 45
(7) इसरो दूरमिति, अनुवर्तन और आदेश नेटवर्क (इस्ट्रैक) 46
(8) अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (सैक) 47
(9) इसरो उपग्रह केन्द्र (आईजैक) 48
(10) मुख्य नियंत्रण सुविधा (एम.सी.एफ.) 49
(11) द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र (एल.पी.एस.सी.) 50
(12) उन्नत आंकड़ा संसाधन अनुसंधान संस्थान (अड्रिन) 51
(13) राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी.) 52
(14) भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आई.आई.आर.एस.) 53

29 Supply of copy of Commission's advice 38
30 Removal of doubts 38
Classification of Civil Posts under the Department of Space 39

SCHEDULE

Appointing, Disciplinary and Appellate Authorities:

(1) Department of Space (DOS) Secretariat 40
(2) Department of Space (Accounts), Bangalore 41
(3) Department of Space (Audit) 42
(4) Indian Space Research Organisation (ISRO) Headquarters 43
(5) Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) 44
(6) Satish Dhawan Space Centre-Sriharikota (SDSC-SHAR) 45
(7) ISRO Telemetry, Tracking and Command Network (ISTRAC) 46
(8) Space Applications Centre (SAC) 47
(9) ISRO Satellite Centre (ISAC) 48
(10) Master Control Facility (MCF) 49
(11) Liquid Propulsion Systems Centre (LPSC) 50
(12) Advanced Data Processing Research Institute (ADRIN) 51
(13) National Remote Sensing Centre (NRSC) 52
(14) Indian Institute of Remote Sensing (IIRS) 53

* * *

[1]अन्तरिक्ष विभाग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1976

का.आ. 270(अ) - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

भाग - I : साधारण

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अन्तरिक्ष विभाग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों -

(क) किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में 'नियुक्ति प्राधिकारी' से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जो उस सिविल पद में नियुक्तियाँ करने के लिए सशक्त है जिसे कर्मचारी तत्समय धारण करता है;

(ख) 'सिविल पद' से अन्तरिक्ष विभाग में सिविल पद अभिप्रेत हैं;

(ग) 'आयोग' से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(घ) 'अन्तरिक्ष विभाग' से ऐसी स्थापना या संगठन अभिप्रेत है जिसे राष्ट्रपति द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भारत सरकार का अन्तरिक्ष विभाग घोषित किया गया हो;

(ङ) 'अनुशासनिक प्राधिकारी' से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जो इन नियमों के अधीन नियम 8 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम है;

[1]दिनांक 1.4.1976 के भारत के राजपत्र (असाधरण) भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित

[1]DEPARTMENT OF SPACE EMPLOYEES' (CLASSIFICATION, CONTROL AND APPEAL) RULES, 1976

S. O. 270 (E) – In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules, namely:

PART – I : GENERAL

1. Short title and commencement

(1) These Rules may be called the Department of Space Employees' (Classification, Control and Appeal) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

In these Rules, unless the context otherwise requires –

(a) 'Appointing Authority', in relation to an employee, means the authority empowered to make appointments to the civil post which the employee for the time being holds;

(b) 'Civil Post' means a civil post in the Department of Space;

(c) 'Commission' means the Union Public Service Commission;

(d) 'Department of Space' means any establishment or Organisation declared by the President by a Notification in the Official Gazette to be the Department of Space of the Government of India;

(e) 'Disciplinary Authority' means the authority competent under these Rules to impose on an employee any of the penalties specified in Rule 8;

[1]Published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 01.04.1976

(च) 'कर्मचारी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अन्तरिक्ष विभाग में सिविल पद धारण किए हो;

[1][(क) 'सरकारी कर्मचारी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो -

(i) किसी सेवा का सदस्य हो अथवा संघ के अन्तर्गत सिविल पद धारण किए हो और कोई ऐसा व्यक्ति भी शामिल है, जो विदेश सेवा पर हो अथवा जिसकी सेवाएं राज्य सरकार को अथवा स्थानीय या अन्य प्राधिकरण को अस्थायी रूप में सौंपी गई हों,

(ii) किसी सेवा का सदस्य हो अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत सिविल पद पर हो तथा जिसकी सेवाएं केन्द्रीय सरकार को अस्थायी रूप में सौंपी गई हों।

(iii) किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण की सेवा में हो तथा जिसकी सेवाएं केन्द्रीय सरकार को अस्थायी रूप में सौंपी गई हों।]

(छ) नियुक्ति, अनुशासनिक, अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए 'विभागाध्यक्ष' से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे अन्तरिक्ष विभाग के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति, मूल और अनुपूरक नियम या सिविल सेवा विनियम या राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए किन्हीं तत्समान नियमों के अधीन विभाग के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है;

(ज) नियुक्ति, अनुशासनिक, अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए 'कार्यालय अध्यक्ष' से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे अन्तरिक्ष विभाग के प्रयोजनों के लिए साधारण वित्तीय नियमों या राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए किन्हीं तत्समान नियमों के अधीन कार्यालय अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है;

(i) 'अनुसूची' से इन नियमों के संलग्न अनुसूची अभिप्रेत हैं;

[1] दिनांक 20.12.1980 की अधिसूचना सं. 9/4(1)/80-III के द्वारा एस.ओ.सं. 215 दिनांक 17.01.1981

(f) 'Employee' means a person holding a civil post in the Department of Space;

[1][(a) 'Government Servant' means a person who –

(i) is a member of a service or holds a civil post under the Union, and includes any such person on foreign service or whose services are temporarily placed at the disposal of a State Government, or a local or other authority;

(ii) is a member of a service or holds a civil post under a State Government and whose services are temporarily placed at the disposal of the Central Government;

(iii) is in service of a local or other authority and whose services are temporarily placed at the disposal of the Central Government.]

(g) 'Head of the Department' for the purpose of exercising the powers as appointing, disciplinary, appellate or reviewing authority, means the authority declared to be the Head of the Department under the Fundamental and Supplementary Rules or the Civil Service Regulations or any corresponding Rules made by the President for the purpose of the Department of Space, as the case may be;

(h) 'Head of the Office' for the purpose of exercising the powers as appointing, disciplinary, appellate or reviewing authority, means the authority declared to be the Head of the Office under the General Financial Rules or any corresponding Rules made by the President for the purpose of the Department of Space;

(i) 'Schedule' means the Schedule appended to these Rules;

[1] Vide Notification No. 9/4(1)/80-III dated 20.12.1980 – S.O. No. 215 dated 17.01.1981.

(ii) 'सचिव' से भारत सरकार के अन्तरिक्ष विभाग का सचिव अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत-

(क) विशेष सचिव या अपर सचिव; और

(ख) अन्तरिक्ष विभाग के स्वतन्त्र प्रभारी संचुक्त सचिव, भी आते हैं।

3. लागू होना

(1) ये नियम प्रत्येक कर्मचारी पर लागू होंगे किन्तु -

(क) ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जिसकी सेवाएँ अन्तरिक्ष विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से या किसी राज्य सरकार से उधार ली गई हैं;

(ख) अखिल भारतीय या केन्द्रीय सिविल सेवा या रेल सेवा के किसी सदस्य पर लागू नहीं होगे;

(ग) ऐसे मासिक रूप से निर्धारित कर्मचारीवृन्द पर लागू नहीं होंगे जिन्हें आकस्मिक व्यय से संदाय किया जाता है, जो नियमित स्थापना पर लिए गए व्यक्तियों से भिन्न हों;

(घ) ऐसे मासिक रूप से निर्धारित कार्य प्रभारित और अन्य व्यक्तियों जो नियमित स्थापना में नहीं हैं पर लागू नहीं होंगे;

(ङ) ऐसे दैनिक रूप से निर्धारित कर्मचारीवृन्द पर लागू नहीं होंगे जिन्हें आकस्मिक व्ययों से संदाय किया जाता है;

(च) ऐसे दैनिक रूप से निर्धारित श्रमिकों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें दैनिक, साप्ताहिक या मासिक रूप से संदाय किया जाता है;

(छ) ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जिसके लिए इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों की बाबत, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन या ऐसे विशेष उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाले विषयों की बाबत इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् राष्ट्रपति के पूर्वानुमोदन द्वारा या पूर्वानुमोदन से की गई किसी संविदा द्वारा या उसके अधीन कोई विशेष उपबन्ध किया जाए।

(j) 'Secretary' means the Secretary to the Government of India in the Department of Space and includes –

(a) Special Secretary or an Additional Secretary; and

(b) a Joint Secretary placed in independent charge of the Department of Space

3. Application

(1) These Rules shall apply to every employee, but shall not apply to –

(a) any person whose services have been borrowed by the Department of Space from any other Department of the Central Government or from State Government;

(b) any member of the All-India or Central Civil Services or Railway Service;

(c) any monthly rated staff paid from contingencies other than those brought on to regular establishment;

(d) any monthly rated work charged and other persons not on regular establishment;

(e) any daily rated staff paid from contingencies;

(f) any daily rated workmen paid by the day, week or month;

(g) any person for whom any special provision is made, in respect of matters covered by these Rules, by or under any law for the time being in force or by or under any agreement entered into by or with the previous approval of the President before or after the commencement of these Rules, in regard to matters covered by such special provisions.

(2) यदि ऐसा कोई संदेह उत्पन्न होता है कि -

(क) क्या ये नियम या इनमें से कोई नियम किसी व्यक्ति पर लागू होते हैं,

या

(ख) क्या कोई व्यक्ति, जिस पर यह नियम लागू होते हैं, कोई अन्य सिविल पद धारण किए हैं; तो मामला राष्ट्रपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जो इस पर निर्णय करेंगे।

भाग II - पदों का वर्गीकरण

4. सिविल पदों का वर्गीकरण

अन्तरिक्ष विभाग के उन पदों से भिन्न सिविल पद जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित हैं जिन पर यह नियम लागू नहीं होते हैं, राष्ट्रपति के साधारण या विशेष आदेश द्वारा निम्न प्रकार से वर्गीकृत किये जाएंगे:

(क) सिविल पद - समूह 'क'
(ख) सिविल पद - समूह 'ख'
(ग) सिविल पद - समूह 'ग'
(घ) सिविल पद - समूह 'घ'

भाग III - नियुक्ति प्राधिकारी

5. समूह 'क' के सिविल पदों पर नियुक्तियाँ

समूह 'क' सिविल पदों पर सभी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा की जाएँगी;

परन्तु, राष्ट्रपति साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वे ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करें, ऐसी नियुक्तियाँ करने की शक्ति किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेंगे।

6. अन्य सिविल पदों पर नियुक्तियां

समूह 'क' के सिविल पदों से भिन्न सिविल पदों पर सभी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के साधारण या विशेष आदेश द्वारा उन निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा की जाएँगी,

(2) If any doubt arises –

(a) whether these Rules or any of them apply to any person;

or

(b) whether any person to whom these Rules apply holds any other Civil post,

the matter shall be referred to the President, who shall decide the same.

PART – II : CLASSIFICATION OF POSTS

4. Classification of Civil Posts

Civil Posts in the Department of Space other than those held by persons to whom these Rules do not apply, shall, by a general or special order of the President, be classified as follows:

(a) Civil Posts – Group 'A'
(b) Civil Posts – Group 'B'
(c) Civil Posts – Group 'C'
(d) Civil Posts – Group 'D'

PART – III : APPOINTING AUTHORITY

5. Appointments to Civil Posts – Group 'A'

All appointments to Civil Posts – Group 'A', shall be made by the President:

Provided that the President may, by a general or a special order and subject to such conditions as he may specify in such order, delegate to any other authority the power to make such appointments.

6. Appointments to other Civil Posts

All appointments to Civil Posts other than the Civil Posts – Group 'A', shall be made by the authorities specified in that behalf by a general or

या जहाँ ऐसा आदेश नहीं किया गया हो, वहाँ ऐसे प्राधिकारियों द्वारा की जाए जो इस निमित्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

भाग IV: निलम्बन

7. निलम्बन

(1) नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी जिसका वह अधीनस्थ हो या अनुशासनिक प्राधिकारी या इस निमित्त राष्ट्रपति द्वारा अधिकार प्राप्त कोई अन्य प्राधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी कर्मचारी को निलम्बनाधीन रख सकेगा -

(क) जब कि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन है या लम्बित है; या

(ख) जब-कि किसी कर्मचारी को निलम्बनाधीन रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी की राय में, वह ऐसे क्रियाकलापों में लगा हुआ है जो राज्य की सुरक्षा के हित में प्रतिकूल प्रभाव डालता है; या

(ग) [1][जब कि उसके विरुद्ध किसी दाण्डिक अपराध की बाबत कोई मामला अन्वेषण, जाँच या विचाराधीन है।]

(2) किसी कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा निलम्बनाधीन -

(क) उसके निरोध की तारीख से उस दशा में समझा जाएगा जब कि उसे किसी अभिरक्षा में, चाहे वह दाण्डिक आरोप पर हो या अन्यथा, अड़तालीस घण्टों की अवधि से अधिक के लिए निरोध में रखा गया हो।

(ख) उसकी दोषसिद्धि की तारीख से उस दशा में समझा जाएगा जब कि किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में उसे अड़तालीस घण्टों से अधिक कारावास का दण्डादेश दिया गया हो और ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप उसे तुरन्त पदच्युत नहीं किया गया हो या हटा नहीं दिया गया हो या अनिवार्यतः निवृत नहीं किया गया हो।

[1]दिनांक 16.05.1977 की अधिसूचना सं. 2/10(32)/76-I के द्वारा 'या वह अभिरक्षित अवरोध में है या ऋण के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है' ये शब्द निकालते हुए संशोधन किया गया है - एस.ओ.सं. 2127 दिनांक 25.6.1977

special order of the President or where no such order has been made, by the authorities specified in this behalf in the Schedule.

PART – IV : SUSPENSION

7. Suspension

(1) The Appointing Authority or any authority to which it is subordinate or the Disciplinary Authority or any other authority empowered in that behalf by the President, by general or special order, may place an employee under suspension –

(a) where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending; or

(b) where, in the opinion of the authority competent to place an employee under suspension, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security of the State; or

(c) [1][where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial.]

(2) An employee shall be deemed to have been placed under suspension by an order of Appointing Authority –

(a) with effect from the date of his detention, if he is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty-eight hours;

(b) with effect from the date of his conviction, if, in the event of a conviction for an offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty-eight hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction.

[1]Amended by omitting the words "or he is under preventive detention or has been arrested for debt", vide Notification No. 2/10(32)/76-I dated 16.05.1977 – S.O. No. 2127 dated 25.06.1977

स्पष्टीकरण : इस उप नियम के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अड़तालीस घण्टे की अवधि, दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास के प्रारंभ से संगणित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए कारावास की अन्तरायिक अवधि, यदि कोई हो, गणना में ली जाएगी।

(3) जहाँ निलम्बनाधीन किसी कर्मचारी पर अधिरोपित पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य निवृत्ति की शास्ति इन नियमों के अधीन अपील पर या पुनर्विलोकन में अपास्त की जाती है और मामला आगे जाँच या कार्यवाही के लिए या किसी अन्य निर्देश के साथ वापस भेजा जाता है वहां उसके निलम्बन के आदेश को उसकी पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य निवृत्ति की तारीख को और उससे निरन्तर प्रवृत्त समझा जाएगा और वह आगे आदेश होने तक प्रवृत्त रहेगा।

(4) जहाँ कोई कर्मचारी जिस पर अधिरोपित पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य निवृत्ति अपास्त की जाती है अथवा न्यायालय के निर्णय एवं अनुशासनिक प्राधिकारी के मामले की स्थिति पर विचार करने के द्वारा अथवा के फलस्वरूप शून्य घोषित की जाती है, अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों जिन पर मूलतः पदच्युति, हटाये जाने अथवा अनिवार्य निवृत्ति अधिरोपित है, पर आगे जाँच करवाने का निर्णय लेता है वहाँ पदच्युति, हटाए जाने अथवा अनिवार्य निवृत्ति के मूल आदेशी तारीख से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को निलम्बनाधीन समझा जाए और वह आगे आदेश होने तक निलम्बनाधीन रहेगा।

[1](परन्तु आगे जाँच करने का आदेश सेवा से पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य निवृत्ति की शास्ति न्यायालय द्वारा मामले के गुणावगुण पर विचार किए बिना तकनीकी आधार पर अपास्त कर दिए जाने या कोई सामग्री प्रकाश में आने, जो न्यायालय के समक्ष पहले नहीं थी, की दशा में ही दिया जाएगा अन्यथा नहीं)

(5) [2][(क) उपनियम (7) के प्रावधानों के तहत, इस नियम के अधीन किया गया या समझा गया निलम्बन का आदेश तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि उसे

[1] दिनांक 28.08.1981 की अधिसूचना सं. 2/8(1)/81- I के द्वारा जोडा गया है - एस.ओ.सं. 2592 दिनांक 3.10.1981

[2] दिनांक 20.11.2007 की अधिसूचना सं. 4/5/1/2004-V के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। एस.ओ.सं. 3434 दि. 8.12.2007

Explanation: The period of forty-eight hours referred to in Clause (b) of this Sub-rule shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose, intermittent periods of imprisonment, if any, shall be taken into account.

(3) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon an employee under suspension is set aside in appeal or on review under these Rules and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force, on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.

(4) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon an employee is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a Court of Law and the Disciplinary Authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the employee shall be deemed to have been placed under suspension by the Appointing Authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders:

[1][Provided that no such further inquiry shall be ordered except in case when the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service has been set aside by a Court of Law on technical grounds without going into the merits of the case or when fresh material has come to light which was not before the Court.]

(5) [2][(a) Subject to the provisions contained in Sub-rule (7), an order of suspension made or deemed to have been made under this

[1] Added vide Notification No. 2/8(1)/81-I dated 28.08.1981 – S.O. No. 2592 dated 03.10.1981

[2] Substituted vide Notification No.4/5/1/2004-V dated 20.11.2007 – S.O. No. 3434 dated 08.12.2007

ऐसा करने क लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा रूपांतरित या प्रतिसंहृत न किया जाए।]

(ख) जहाँ किसी कर्मचारी को निलम्बित किया जाता है या निलम्बित समझा जाता है (चाहे अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में या अन्यथा), और उस निलम्बन के लागू रहने के दौरान उसके विरुद्ध कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की जाती है, तो वह प्राधिकारी, जो उसे निलम्बनाधीन रखने के लिए सक्षम है, ऐसे कारणों के आधार पर, जो लेखबद्ध किए जाएँगे, वह निदेश दे सकेगा कि कर्मचारी तब तक निलम्बनाधीन बना रहेगा जब तक ऐसी सभी या कोई कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती।

(ग) इस नियम के अधीन किए गए या किए गए समझे गए किसी आदेश को किसी भी समय ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसने वह आदेश किया था या जिसके बारे में ऐसा समझा जाता है कि उसने यह आदेश किया है या ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसके वह प्राधिकारी अधीनस्थ हो, रूपान्तरित या प्रतिसंहृत किया जा सकेगा।

(6) [1][इस नियम के अधीन किया गया या किया गया समझा गया निलम्बन के आदेश का पुनरीक्षण, निलम्बन को उपांतरित या प्रतिसंहृत {निलम्बन के प्रभावी दिनांक से नब्बे दिनों के पूरा होने से पहले} करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा, इस उद्देश्य के लिए गठित पुनरीक्षण समिति की सिफारिश पर किया जाएगा और निलम्बन को बढ़ाने या प्रतिसंहृत करते हुए आदेश जारी किया जाएगा और कोई भी परवर्ती पुनरीक्षण बढ़ाई गई निलम्बन अवधि के पूरा होने के पहले किया जाएगा बशर्ते बढ़ाई गई निलम्बन अवधि एक बार में एक सौ अस्सी दिनों से अधिक न हो।]

(7) [2][इस नियम के उप नियम (1) से (2) तहत किया गया या किया गया समझा गया निलम्बन आदेश नब्बे दिनों की अवधि के पश्चात् वैध नहीं होगा जब तक की उसे नब्बे दिनों की समाप्ति के पहले पुनरीक्षण के पश्चात आगे की अवधि के लिए बढ़ाया नहीं जाताः

[1]दिनांक 18.03.2004 की अधिसूचना सं. 2/5/1/98-V के द्वारा जोड़ा गया है। एस.ओ.सं. 804 दि. 28.3.2004

[2]दिनांक 20.11.2007 की अधिसूचना सं. 4/5/1/2004-V के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। एस.ओ.सं. 3434 दि. 8.12.2007

Rule shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so.]

(b) Where an employee is suspended or is deemed to have been suspended (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise), and any other disciplinary proceeding is commenced against him during the continuance of that suspension, the authority competent to place him under suspension may, for reasons to be recorded by him in writing, direct that the employee shall continue to be under suspension until the termination of all or any of such proceedings.

(c) An order of suspension made or deemed to have been made under this Rule may at any time be modified or revoked by the authority which made or is deemed to have made the order or by any authority to which that authority is subordinate.

(6) [1][An order of suspension made or deemed to have been made under this Rule shall be reviewed by the authority competent to modify or revoke the suspension 1{before expiry of ninety days from the effective date of suspension}, on the recommendation of the Review Committee constituted for the purpose and pass orders either extending or revoking the suspension and any subsequent review shall be made before the expiry of the extended period of suspension provided that the extension of suspension shall not be for a period exceeding one hundred and eighty days at a time.]

(7) [2][An order of suspension made or deemed to have been made under Sub-rules (1) or (2) of this rule shall not be valid after a period of ninety days unless it is extended after review, for a further period before the expiry of ninety days:

[1]Inserted vide Notification No. 2/5/1/98-V dated 18.03.2004 – S.O. No. 804 dated 28.03.2004

[2]Substituted vide Notification No. 4/5/1/2004-V dated 20.11.2007 – S.O. No. 3434 dated 08.12.2007

परन्तु उप नियम (2) के तहत किया गया समझे गए निलम्बन के मामले में निलम्बन पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी, यदि नब्बे दिनों के निलम्बन अवधि की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी निरोध के तहत बना हुआ है और ऐसे मामलों में नब्बे दिनों की अवधि सरकारी कर्मचारी को हिरासन से मुक्त की गई तारीख या उसके निरोध से मुक्ति का तथ्य उसके नियुक्ति अधिकारी को सूचित किए जाने की तारीख, जो भी बाद में हो, से माना जाएगा।]

टिप्पण: ऐसे किसी कर्मचारी का, जिसे किसी कारण से गिरफ्तार किया जाए, यह कर्तव्य होगा कि वह अपने गिरफ्तारी का तथ्य और उससे संबंधित परिस्थितियों की बाबत तुरन्त अपने पदीय वरिष्ठ को सूचित करे चाहे, तत्पश्चात् उसे जमानत पर छोड़ दिया गया है। कर्मचारी के अपने पदीय वरिष्ठों को इस प्रकार सूचित करने में असफल रहने की बात को तात्विक जानकारी छिपाने के रूप में समझा जाएगा और किसी अन्य कार्यवाही के अलावा जो उसके विरुद्ध पुलिस मामले के परिणामस्वरूप आवश्यक हो केवल इसी आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही के लिए दायी होगा।

भाग V : शास्तियां और अनुशासनिक प्राधिकारी

8. शास्तियाँ

किसी कर्मचारी पर, समुचित और पर्याप्त कारणों के आधार पर और इसमें इसके पश्चात् उपबन्धिक रूप में, निम्नलिखित शास्तियां अधिरोपित की जा सकेंगी; अर्थात् -

छोटी शास्तियाँ

(i) निन्दा;

(ii) प्रोन्नति का रोका जाना;

(iii) आदेश की उपेक्षा या भंग के कारण उसके द्वारा सरकार को की गई धन की हानि का सम्पूर्णतः या भागतः उसके वेतन से वसूल किया जाना;

[1][(iii) (क) काल वेतनमान में तीन साल से अनाधिक संचित प्रभाव रहित और उसके पेंशन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एक स्तर से निम्नतर काल वेतनमान में अवनत।]

(iv) वेतन वृद्धियों का रोका जाना।

[1] दिनांक 22.06.2005 की अधिसूचना सं. 4/5/1/2004-V द्वारा प्रतिस्थापित। दिनांक 16.07.2005 के एस.ओ.सं. 2489

Provided that no such review of suspension shall be necessary in the case of deemed suspension under Sub-rule (2), if the Government servant continues to be under detention at the time of completion of ninety days of suspension and the ninety days period in such case will count from the date the Government servant detained in custody is released from detention or the date on which the fact of his release from detention is intimated to his Appointing Authority, whichever is later.]

Note: It shall be the duty of an employee who may be arrested for any reason to intimate the fact of his arrest and the circumstances connected therewith to his official superior promptly even though he might have subsequently been released on bail. Failure on the part of any employee so to inform his official superior shall be regarded as suppression of material information and shall render him liable to disciplinary action on this ground alone, apart from any action that may be called for on the outcome of the police case against him.

PART – V: PENALTIES AND DISCIPLINARY AUTHORITIES

8. Penalties

The following penalties may, for good and sufficient reasons and as hereinafter provided, be imposed on an employee, namely –

Minor Penalties

(i) censure;

(ii) withholding promotion;

(iii) recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the Government by negligence or breach of orders;

[1][(iii) (a) reduction to a lower stage in the time scale of pay by one stage for a period not exceeding three years, without cumulative effect and not adversely affecting his pension]

(iv) withholding of increments of pay;

[1]Substituted vide Notification No. 4/5/1/2004-V dated 22.06.2005 – S.O. No. 2489 dated 16.07.2005

(v) [1][परन्तु खण्ड (iii) (क) में बताये उपबन्ध को छोडकर, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए काल वेतनमान में किसी निम्नतर प्रक्रम पर इस संबंध में अतिरिक्त निदेशों सहित अवनति की या ऐसी अवनति की अवधि के दौरान कर्मचारी वेतन-वृद्धियाँ उपार्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर उस अवनति का प्रभाव उसके वेतन की भावी वृद्धियों को मुलतवी करने का होगा या नहीं];

(vi) [2][निम्नतर काल वेतनमान, श्रेणी या पद पर ऐसी अवनति की अवधि, जिसे शास्ति आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाना है, जो ऐसी अवधि के दौरान, उस काल वेतनमान, श्रेणी या पद पर जिससे कर्मचारी अवनत किया गया से प्रोन्नति के लिए वर्जन होगी, इस निदेश के साथ कि विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रोन्नति पर-

(क) काल वेतनमान, श्रेणी या पद पर ऐसी अवनति की अवधि उसके वेतनवृद्धि को स्थगित करेगी या नहीं, यदि हाँ, तो किस हद तक;

और

(ख) कर्मचारी उच्च काल वेतनमान, श्रेणी या पद पर अपने मूल वरिष्ठता को पुनः प्राप्त करेगा या नहीं];

(vii) अनिवार्य निवृत्ति;

(viii) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी;

[1]दिनांक 23.10.1992 की अधिसूचना सं. 2/5(1)/91-VI द्वारा प्रतिस्थापित। दिनांक 21.11.1992 के एस.ओ.सं. 2891

[2]दिनांक 06.03.2013 की अधिसूचना सं. 14015/1/2012-IV द्वारा प्रतिस्थापित। दिनांक 26.03.2013 के एस.ओ.सं. 830 (ई)

(v) [1][save as provided for in Clause (iii) (a), reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether, on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay];

(vi) [2][reduction to a lower time-scale of pay, grade or post for a period to be specified in the order of penalty, which shall be a bar to the promotion of the employee, during such specified period, to the time-scale of pay, grade or post from which he was reduced, with direction as to whether or not, on promotion on the expiry of the said specified period –

(a) the period of reduction to time-scale of pay, grade or post shall operate to postpone future increments of his pay, and if so, to what extent;

and

(b) the employee shall regain his original seniority in the higher time scale of pay, grade or post];

(vii) compulsory retirement;

(viii) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;

[1]Substituted vide Notification No. 2/5(1)/91-VI dated 23.10.1992 – S.O. No. 2891 dated 21.11.1992

[2]Substituted vide Notification No. E. 14015/1/2012-IV dated 06.03.2013 – S.O. No. 830(E) dated 26.03.2013

(ix) पदच्युति, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए साधारणतया निरर्हता होगी:

[1][परन्तु, प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें कि किसी व्यक्ति द्वारा [2]उसकी परिसंपत्तियाँ उसके आय के ज्ञात स्त्रोतों से मेल नहीं खाती हैं या विधिक पारिश्रमिक के अलावा सरकारी कार्य करने के लिए प्रेरणा या पुरस्कार के रूप में कैसे भी परितोषण की स्वीकृति का आरोप प्रमाणित हो जाता है, उस पर खण्ड (viii) अथवा खण्ड (ix) में निर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

परन्तु यह भी कि किसी भी अपवादित मामले में तथा लिखित रूप में विशेष अभिलेखित कारण के लिए अन्य कोई भी शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।]

स्पष्टीकरण: निम्नलिखित को इस नियम के अर्थ के अन्तर्गत शास्ति नहीं समझा जायेगा, अर्थात्:

(i) किसी कर्मचारी की वेतन वृद्धियों का, उन नियमों या आदेशों के अनुसार, जो सिविल पद को, जिसे वह धारण किए हुए है, शासित करते हैं या उसकी नियुक्ति के निबंधनों के अनुसार इसलिए रोका जाना कि वह कोई विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहा है।

(ii) किसी कर्मचारी को, काल वेतनमान में दक्षतारोध पर इस आधार पर रोक लेना कि वह दक्षतारोध पार करने योग्य नहीं है।

(iii) किसी कर्मचारी की उस श्रेणी या पद पर प्रोन्नति जिस पर प्रोन्नति के लिए वह पात्र है, चाहे अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में प्रोन्नति के लिए उसके मामले पर विचार करके न करना;

(iv) ऐसे कर्मचारी का, जो उच्चतर श्रेणी या पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा है, निम्नतर श्रेणी या पद पर, इस आधार पर कि वह उच्चतर श्रेणी या पद के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है या ऐसे प्रशासनिक आधार पर जो उसके आचरण से सम्बद्ध है, प्रतिवर्तन;

[1]दिनांक 23.10.1992 की अधिसूचना सं. 2/5(1)/91-vi द्वारा जोड़ा गया। दिनांक 21.11.1992 के एस.ओ.सं. 2891

[2]दिनांक 24.1.2001 की अधिसूचना सं. 2/5(1)/98-v द्वारा प्रतिस्थापित। दिनांक 10.2.2001 के एस.ओ.सं. 254

(ix) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government:

[1][Provided that, in every case in which [2]the charge of possession of assets disproportionate to known sources of income or the charge of acceptance} from any person of any gratification, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act is established, the penalty mentioned in Clause (viii) or Clause (ix) shall be imposed:

Provided further that in any exceptional case and for special reasons recorded in writing, any other penalty may be imposed.]

Explanation: The following shall not amount to a penalty within the meaning of this Rule, namely:

(i) withholding of increment of an employee for his failure to pass any test or Departmental examination in accordance with the Rules or orders governing the civil post which he holds or the terms of his appointment;

(ii) stoppage of an employee at the efficiency bar in the time scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar;

(iii) non-promotion of an employee, whether in a substantive or officiating capacity, after consideration of his case, to a grade or post for promotion to which he is eligible;

(iv) reversion of an employee officiating in a higher grade or post to unsuitable for such higher grade or post or on any administrative ground unconnected with his conduct;

[1]Inserted vide Notification No. 2/5(1)/91-VI dated 23.10.1992 – S.O. No. 2891 dated 21.11.1992

[2]Substituted vide Notification No. 2/5(1)/98-V dated 24.01.2001 – S.O. No. 254 dated 10.02.2001

(v) ऐसे कर्मचारी का, जो किसी अन्य श्रेणी या पद में परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया है, परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसके अंत में उसकी स्थायी श्रेणी या पद पर उसकी नियुक्ति के निबंधनों के या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार, प्रतिवर्तन;

(vi) किसी कर्मचारी की, उसकी अधिवर्षिता या निवृत्ति से सम्बंधित उपबन्धों के अनुसार, अनिवार्य निवृत्ति;

(vii) (क) ऐसे कर्मचारी की, जो परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया है, उसकी नियुक्ति के निबन्धनों के या ऐसी परिवीक्षा को शामिल करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार, उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान या अंत में; या

(ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के नियम 5 के उपनियम (1) या राष्ट्रपति द्वारा ऐसे कर्मचारियों की बाबत बनाए गए किन्हीं तत्सम्बंधी नियमों के उपबंधों के अनुसार, अस्थायी कर्मचारी की; या

(ग) ऐसे कर्मचारी की, जो किसी करार के निबन्धनों के अनुसार ऐसे करार के अधीन नियोजित है; की सेवाओं की समाप्ति।

9. अनुशासनिक प्राधिकारी

(1) राष्ट्रपति किसी कर्मचारी पर नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित कर सकते हैं ।

(2) उपनियम (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियुक्ति प्राधिकारी या इस निमित्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा या राष्ट्रपति के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, किसी कर्मचारी पर नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

(3) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ, किसी प्राधिकारी द्वारा नियम 8 के खण्ड (v) से (ix) तक में वर्णित कोई भी शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकेगी।

(v) reversion of an employee appointed on probation to any other grade or post to his permanent grade or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation;

(vi) compulsory retirement of an employee in accordance with the provisions relating to his superannuation or retirement;

(vii) termination of the services –

(a) of an employee appointed on probation, during or at the end of the period of his probation, in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation; or

(b) of a temporary employee in accordance with the provisions of Sub-rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, or any corresponding rules made by the President for such employees; or

(c) of an employee, employed under an agreement, in accordance with the terms of such agreement.

9. Disciplinary Authorities

(1) The President may impose any of the penalties specified in Rule 8 on any employee.

(2) Without prejudice to the provisions of Sub-rule (1), any of the penalties specified in Rule 8 may be imposed on any employee by the Appointing Authority or the authority specified in the Schedule in this behalf or by any other authority empowered in this behalf by a general or special order of the President.

(3) Notwithstanding anything contained in this Rule, no penalty specified in Clauses (v) to (ix) of Rule 8 shall be imposed by any authority subordinate to the Appointing Authority.

स्पष्टीकरण: जहाँ किसी ऐसे कर्मचारी की, जो किसी भी समूह का सिविल पद धारण कर रहा है, उसके अगले उच्चतर समूह के सिविल पद पर, चाहे परिवीक्षा पर या अस्थायी रूप से प्रोन्नति की जाती है, वहाँ इन नियमों के प्रयोजनों के लिए उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि वह ऐसे उच्चतर समूह का सिविल पद धारण कर रहा है।

10. कार्यवाहियां प्रारंभ करने के लिए प्राधिकारी

(1) राष्ट्रपति या उनके द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा सशक्त कोई अन्य प्राधिकारी -

(क) किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारंभ कर सकेगा;

(ख) किसी अनुशासनिक प्राधिकारी को ऐसे किसी कर्मचारी के विरुद्ध, जिस पर वह अनुशासनिक प्राधिकारी नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति इन नियमों के अधीन अधिरोपित करने के लिए सक्षम है, अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए निर्देश दे सकेगा।

(2) वह अनुशासनिक प्राधिकारी, जो नियम 8 के खण्ड (i) से (iv) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति इन नियमों के अधीन अधिरोपित करने के लिए सक्षम है, उस नियम के खण्ड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां इस बात के होते हुए भी प्रारंभ कर सकेगा कि ऐसा अनुशासनिक प्राधिकारी पश्चात् कथित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए इन नियमों के अधीन सक्षम नहीं है।

भाग VI : शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया

11. बड़ी शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया

(1) नियम 8 के खण्ड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई भी आदेश सिवाए ऐसी जाँच के पश्चात् किया जाएगा जो यथाशक्य इस नियम और नियम 12 में उपबंधित रीति में या जहाँ जाँच, लोक सेवक (जाँच) अधिनियम, 1850 (1850 का 37) के अधीन की जाती है वहां उस अधिनियम द्वारा उपवर्णित रीति में की गई हो।

Explanation: Where an employee holding a civil post of any Group is promoted, whether on probation or temporarily, to the civil post of the next higher Group, he shall be deemed, for the purposes of this Rule, to hold the civil post of such higher Group.

10. Authority to institute proceedings

(1) The President or any other authority empowered by him by general or special order may –

(a) institute disciplinary proceedings against any employee;

(b) direct a Disciplinary Authority to institute disciplinary proceedings against any employee on whom that Disciplinary Authority is competent to impose under these Rules any of the penalties specified in Rule 8.

(2) A Disciplinary Authority competent under these Rules to impose any of the penalties specified in Clauses (i) to (iv) of Rule 8 may institute disciplinary proceedings against any employee for the imposition of any of the penalties specified in Clauses (v) to (ix) of that Rule notwithstanding that such Disciplinary Authority is not competent under these Rules to impose any of the latter penalties.

PART – VI: PROCEDURE FOR IMPOSING PENALTIES

11. Procedure for imposing major penalties

(1) No order imposing any of the penalties specified in Clauses (v) to (ix) of Rule 8 shall be made except after an inquiry held, as far as may be, in the manner provided in this Rule and Rule 12, or in the manner provided by the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (37 of 1850), where such inquiry is held under that Act.

(2) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध अवचार या कदाचार के किसी लांछन की सच्चाई की जाँच करने के लिए आधार हैं तब उसकी सच्चाई की जाँच वह स्वयं कर सकेगा या ऐसा करने के लिए यथास्थिति, इस नियम के अधीन या लोक सेवक (जाँच) अधिनियम, 1850 (1850 का 37) के उपबन्धों के अधीन किसी प्राधिकारी को नियुक्त कर सकेगा।

[1][परन्तु जब केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (आचार) नियम, 1964 के नियम 3-सी के अर्थ में, यौन उत्पीड़न की शिकायत हो, तो ऐसी शिकायतों की जाँच हेतु प्रत्येक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय में स्थापित शिकायत समिति को इन नियमों के प्रयोजन हेतु अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जाँच प्राधिकारी के रूप में माना जाएगा और यदि शिकायत समिति के लिए यौन उत्पीड़न के शिकायत की जाँच हेतु कोई प्रत्येक प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं की गई है तो शिकायत समिति जहाँ तक प्रायोगिक हो, इन नियमों में बनाई गई प्रक्रियाओं के अनुसार जाँच करेगी।]

[2][स्पष्टीकरणः (i) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जाँच करता है, वहाँ उप नियम (7) से उप नियम (20) में और उपनियम (22) मे जाँच प्राधिकारी के प्रति किसी भी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रति निर्देश है।

(ii) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी, किसी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को जाँच अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं, वहाँ उप-नियम (7) से उप-नियम (20) में और उप नियम (22) में किसी भी निर्देश में ऐसे प्राधिकारी शामिल होंगे।]

(3) जहाँ इस नियम और नियम 12 के अधीन किसी कर्मचारी के विरुद्ध जाँच करने का प्रस्ताव किया जाता है वहां अनुशासनिक प्राधिकारी -

(i) अनाचार या कदाचार के लांछनों के सार को आरोप के निश्चित और सुभिन्न अनुच्छेदों में;

[1]दिनांक 22.6.2005 की अधिसूचना सं. 4/5/1/2004-v द्वारा जोड़ा गया - दिनांक 16.7.2005 के एस.ओ.सं. 2489

[2]दिनांक 06.03.2013 की अधिसूचना सं.ई. 14015/1/2012-IV द्वारा प्रतिस्थापित। दिनांक 26.03.2013 के एस.ओ.सं. 830 (ई)

(2) Whenever the Disciplinary Authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against an employee, it may itself inquire into, or appoint under this Rule or under the provisions of the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (37 of 1850), as the case may be, an authority to inquire into the truth thereof:

[1][Provided that where there is a complaint of sexual harassment within the meaning of Rule 3-C of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, the Complaints Committee established in each Ministry or Department or Office for inquiring into such complaints, shall be deemed to be the Inquiring Authority appointed by the Disciplinary Authority for the purpose of these Rules and the Complaints Committee shall hold, if separate procedure has not been prescribed for the Complaints Committee for holding the inquiry into the complaints of sexual harassment, the inquiry, as far as practicable, in accordance with the procedure laid down in these rules.]

[2]**[Explanation:** (i) Where the Disciplinary Authority itself holds the inquiry, any reference in Sub-rule (7) to Sub-rule (20) and in Sub-rule (22) to the Inquiring Authority shall be construed as a reference to the Disciplinary Authority.

(ii) Where the Disciplinary Authority appoints a retired Government servant as Inquiring Authority, any reference in Sub-rule (7) to Sub-rule (20) and in Sub-rule (22) shall include such authority.]

(3) Where it is proposed to hold an inquiry against an employee under this Rule and Rule 12, the Disciplinary Authority shall draw up or cause to draw up –

(i) the substance of the imputations of misconduct or misbehavior into definite and distinct articles of charge;

[1]Inserted vide Notification No. 4/5/1/2004-V dated 22.06.2005 – S.O. No. 2489 dated 16.07.2005

[2]Substituted vide Notification No. E. 14015/1/2012-IV dated 06.03.2013 – S.O. No. 830(E) dated 26.03.2013

(ii) आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का विवरण, जिसमें -

(क) उन सभी सुसंगत तथ्यों का विवरण होगा जिनके अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा की गई कोई स्वीकृति या संस्वीकृति भी आती है;

(ख) उन दस्तावेजों और उन साक्षियों की एक सूची, जिनके द्वारा आरोप के अनुच्छेदों का समर्थन करने का प्रस्ताव किया गया है, विरचित करेगा या करवायेगा।

(4) अनुशासनिक प्राधिकारी, आरोप के अनुच्छेद की एक प्रति, अनाचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की एक प्रति और उन दस्तावेजों और साक्षियों की एक सूची जिनके द्वारा आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद का अनुसमर्थन करने की प्रस्थापना की गई है, कर्मचारी को परिदत्त करेगा या करवाएगा और कर्मचारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाए अपनी प्रतिरक्षा का एक लिखित कथन प्रस्तुत करे और यह बताए कि क्या वह चाहता है कि स्वयं उसे सुना जाए।

(5) (क) प्रतिरक्षा के लिखित कथन की प्राप्ति पर अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के ऐसे अनुच्छेद की, जो स्वीकार नहीं किये गये हैं; जाँच स्वयं कर सकेगा या यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो उप-नियम (2) के अधीन उस प्रयोजन के लिए एक जाँच प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा और जहाँ आरोप के सभी अनुच्छेदों को कर्मचारी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा के लिखित कथन में स्वीकार किया गया है, वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात् जिसे वह ठीक समझे प्रत्येक आरोप की बाबत अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और नियम 12 में अभिकथित रीति से कार्य करेगा।

(ख) यदि कर्मचारी द्वारा प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के अनुच्छेदों की जाँच स्वयं कर सकेगा, या यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह उपनियम (2) के अधीन उस प्रयोजन के लिए एक जाँच प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

(ii) a statement of the imputations of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge, which shall contain –

(a) a statement of all relevant facts including any admission or confession made by the employee;

(b) a list of documents by which, and a list of witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained.

(4) The Disciplinary Authority shall deliver or cause to be delivered to the employee a copy of the articles of charge, the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour and a list of documents and witnesses by which each article of charge is proposed to be sustained and shall require the employee to submit, within such time as may be specified, a written statement of his defence and to state whether he desires to be heard in person.

(5) (a) On receipt of the written statement of defence, the Disciplinary Authority may itself inquire into such of the articles of charge as are not admitted, or, if it considers it necessary so to do, appoint under Sub-rule (2), an Inquiring Authority for the purpose, and where all the articles of charge have been admitted by the employee in his written statement of defence, the Disciplinary Authority shall record its findings on each charge after taking such evidence as it may think fit and shall act in the manner laid down in Rule 12.

(b) If no written statement of defence is submitted by the employee, the Disciplinary Authority may itself inquire into the articles of charge, or may, if it considers it necessary so to do, appoint, under Sub-rule (2), an Inquiring Authority for the purpose.

[1][(ग) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के किसी अनुच्छेद की जाँच स्वयं करता है या ऐसे आरोप की जाँच करने के लिए कोई जाँच अधिकारी नियुक्त करता है, वहाँ आरोप के अनुच्छेदों के समर्थन में अपनी ओर से मामले को उपस्थापित करने के लिये किसी सरकारी कर्मचारी या विधि व्यवसायी को, जो "उपस्थापक अधिकारी" के नाम से ज्ञात होगा, आदेश द्वारा नियुक्त कर सकेगा।]

[2][**स्पष्टीकरण:** इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'सरकारी कर्मचारी' में वह व्यक्ति शामिल है जो अब सरकारी सेवा में नहीं है।]

(6) अनुशासनिक प्राधिकारी, जहाँ कि वह जाँच प्राधिकारी न हो, जाँच प्राधिकारी को निम्नलिखित भेजेगा :

(i) आरोप के अनुच्छेदों और अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की एक प्रति;

(ii) कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिरक्षा के लिखित कथन, यदि कोई हों, की एक प्रति;

(iii) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट साक्षियों, यदि कोई हों, के कथनों की एक प्रति;

(v) कर्मचारी को उप-नियम (3) में निर्दिष्ट दस्तावेजों का परिदान साबित करने वाला साक्ष्य; और

(vi) उपस्थापक अधिकारी की नियुक्ति करने वाले आदेश की एक प्रति।

(7) कर्मचारी जाँच प्राधिकारी के समक्ष आरोप के अनुच्छेदों की और अवचार या कदाचार की [3][जाँच प्राधिकारी से प्राप्ति की तारीख से दस कार्यदिवसों के भीतर ऐसे दिन और समय पर, जिसे जाँच प्राधिकारी, लिखित सूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे या दस दिन से अनधिक ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो जाँच प्राधिकारी अनुज्ञात करें, स्वयं हाज़िर होगा।

---

[1]दिनांक 20.12.1980 की अधिसूचना सं. 9/4(1)/80-III द्वारा प्रतिस्थापित। दिनांक 17.1.1981 के एस.ओ.सं. 215

[2]दिनांक 06.03.2013 की अधिसूचना सं.ई. 14015/1/2012-IV द्वारा प्रतिस्थापित। दिनांक 26.03.2013 के एस.ओ.सं. 830 (ई)

[3]दिनांक 27.03.1996 की अधिसूचना सं. 2/5(1)/91-v के द्वारा प्रतिस्थापित। एस.ओ.सं. 1241 दिनांक 20.4.1996

[1][(c) Where the Disciplinary Authority itself inquires into any article of charge or appoints an Inquiring Authority for holding any inquiry into such charge, it may, by an order, appoint a Government Servant or a legal practitioner, to be known as the "Presenting Officer" to present on its behalf the case in support of the articles of charge.]

[2][**Explanation:** For the purposes of this rule, the expression 'Government servant' includes a person who has ceased to be in Government service.]

(6) The Disciplinary Authority shall, where it is not the Inquiring Authority, forward to the Inquiring Authority:

(i) a copy of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;

(ii) a copy of the written statement of defence, if any, submitted by the employee;

(iii) a copy of the statement of witnesses, if any, referred to in Sub-rule (3);

(iv) evidence proving the delivery of the documents referred to in Sub-rule (3) to the employee; and

(v) a copy of the order appointing the Presenting Officer.

(7) The employee shall appear in person before the Inquiring Authority on such day and at such time within ten working days from the date of [3][receipt by the Inquiring Authority] of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehavior, as the Inquiring Authority may, by notice in writing, specify, in this behalf, or within such further time, not exceeding ten days, as the Inquiring Authority may allow.

---

[1]Substituted vide Notification No. 9/4(1)/80-III dated 20.12.1980 – S.O. No. 215 dated 17.01.1981

[2]Substituted vide Notification No. E. 14015/1/2012-IV dated 06.03.2013 – S.O. No. 830(E) dated 26.03.2013

[3]Substituted vide Notification No. 2/5(1)/91-V dated 27.03.1996 – S.O. No. 1241 dated 20.04.1996

[1][(8) (क) कर्मचारी अपनी ओर से मामला उपस्थापित करने के लिए किसी कर्मचारी या सरकारी सेवक की सहायता ले सकेगा किन्तु इस प्रयोजन के लिए कोई विधि व्यवसायी तब तक नहीं नियुक्त कर सकेगा जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त उपस्थापित अधिकारी भी विधि व्यवसायी हो; या अनुशासनिक प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी अनुज्ञा दे।];

परन्तु, अन्य कर्मचारी अथवा सरकारी सेवक पर [2]{तीन} लंबित अनुशासनिक मामले न हों जिनमें उसे सहायता देनी हो।

(ख) सरकारी सेवक अपनी ओर से अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी सेवोन्मुक्त सरकारी सेवक की सहायता भी ले सकता हे, बशर्ते

(i) सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका हो;

(ii) सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी तब तक विधि व्यवसायी नहीं होगा, जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त उपस्थापक अधिकारी विधि व्यवसायी न हो, या अनुशासनिक प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी अनुज्ञा दे।]

(9) यदि वह कर्मचारी, जिसने अपनी प्रतिरक्षा के लिखित कथन में आरोपों के अनुच्छेदों में से किसी को स्वीकार नहीं किया है या प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया है, जाँच प्राधिकारी के समक्ष हाजिर होता है, तो ऐसा प्राधिकारी उससे यह पूछेगा कि क्या वह दोषी है या क्या उसे कोई प्रतिरक्षा करनी है और यदि वह आरोप के अनुच्छेदों में से किसी का दोष स्वीकार करता है, तो जाँच प्राधिकारी उस अभिवाक को अभिलिखित करेगा, अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा, और उस पर कर्मचारी के हस्ताक्षर लेगा।

(10) जाँच प्राधिकारी आरोप के उन अनुच्छेदों के बारे में जिसका दोषी होना कर्मचारी स्वीकार करता है, दोषी होने का निष्कर्ष देगा।

---

[1]दिनांक 16.07.1982 की अधिसूचना सं. 2/8(1)/81-I द्वारा प्रतिस्थापित। एस.ओ.सं. 3113 दि. 4.9.1982 और दिनांक 2.1.1986 की अधिसूचना सं. 2/9(1)/83- I(v) द्वारा संशोधित, एस.ओ.सं. 510 दि. 8.2.1986

[2]दिनांक 23.10.1992 की अधिसूचना सं. 2/5(1)/91-VI के द्वारा प्रतिस्थापित। एस.ओ.सं. 2891 दि. 21.11.1992

[1][(8) (a) The employee may take the assistance of any other employee or a Government servant to present the case on his behalf, but may not engage a legal practitioner for the purpose, unless the Presenting Officer, appointed by the Disciplinary Authority, is also a legal practitioner, or the Disciplinary Authority, having regard to the circumstances of the case, so permits:

Provided that the other employee or the Government servant shall not have [2]{three} pending disciplinary cases on hand in which he has to give assistance.

(b) The employee may also take the assistance of a retired Government servant to present the case on his behalf, subject to the conditions that –

(i) the retired Government servant should have retired from the services under the Central Government;

(ii) the retired Government servant may not be a legal practitioner unless the Presenting Officer, appointed by the Disciplinary Authority, is also a legal practitioner, or unless the Disciplinary Authority, having regard to the circumstances of the case, so permits.]

(9) If the employee who has not admitted any of the articles of charge in his written statement of defence or has not submitted any written statement of defence, appears before the Inquiring Authority, such Authority shall ask him whether he is guilty or has any defence to make and if he pleads guilty to any of the articles of charge, the Inquiring Authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the employee thereon.

(10) The Inquiring Authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the employee pleads guilty.

---

[1]Substituted vide Notification No. 2/8(1)/81-I dated 16.07.1982 – S.O. No. 3113 dated 04.09.1982 and modified vide Notification No. 2/9(1)/83-I(V) dated 2.1.1986 – S.O. No. 510 dated 08.02.1986

[2]Substituted vide Notification No. 2/5(1)/91-VI dated 23.10.1992 – S.O.No. 2891 dated 21.11.1992

(11) जाँच प्राधिकारी, यदि कर्मचारी विनिर्दिष्ट समय के भीतर हाज़िर होने में असफल रहता है या अभिवचन करने से इनकार करता है या लोप करता है, उपस्थापक अधिकारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे साक्ष्य को पेश करे जिससे वह आरोप के अनुच्छेदों को साबित करने की प्रस्थापना करता है, और मामले को, यह आदेश अभिलिखित करने के पश्चात् तीस दिन से अनधिक किसी पश्चात्वर्ती तारीख के लिए स्थगित करेगा कि कर्मचारी अपनी रक्षा तैयार करने के प्रयोजन के लिए -

(i) आदेश के पाँच दिन के भीतर या पाँच दिन से अनाधिक इतने अतिरिक्त समय के भीतर जो जाँच प्राधिकारी अनुज्ञात करे, उप-नियम (3) में निर्दिष्ट सूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा;

(ii) उन साक्षियों की सूची प्रस्तुत कर सकेगा जिनकी परीक्षा उसकी ओर से की जानी है;

टिप्पण: यदि कोई कर्मचारी उपनियम (3) में निर्दिष्ट सूची में उल्लिखित साक्षियों के कथनों की प्रतियां देने के लिए मौखिक रूप से या लिखित रूप में कोई आवेदन करता है, तो जाँच प्राधिकारी ऐसी प्रतियां यथासंभव शीघ्र और किसी भी दशा में अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से साक्षियों की परीक्षा के प्रारंभ से तीन दिन पूर्व उसे देगा, उसके उपरान्त नहीं।

(iii) इस आदेश के दस दिन के भीतर या दस दिन से अनधिक उतने अतिरिक्त समय के भीतर जितना जाँच प्राधिकारी अनुज्ञात करे, ऐसे किन्हीं दस्तावेजों की जो सरकार के कब्जे में है किन्तु उपनियम (3) में निर्दिष्ट सूची में उल्लिखित नहीं हैं, प्रकटीकरण या पेश करने के लिए सूचना दे सकेगा।

टिप्पण: कर्माचारी उन दस्तावेजों की सुसंगति उपदर्शित करेगा जिनके प्रकटीकरण या पेश किए जाने की अपेक्षा उसने सरकार से की है।

(12) जाँच प्राधिकारी, दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश करने के लिए सूचना की प्राप्ति पर, वह सूचना या उसकी प्रतियां, दस्तावेजों को उस तारीख

(11) The Inquiring Authority shall, if the employee fails to appear within the specified time or refuses or omits to plead, require the Presenting Officer to produce the evidence by which he proposes to prove the articles of charge, and shall adjourn the case to a later date not exceeding thirty days, after recording an order that the employee may, for the purpose of preparing his defence –

(i) inspect within five days of the order or within such further time not exceeding five days as the Inquiring Authority may allow, the documents specified in the list referred to in Sub-rule (3);

(ii) submit a list of witnesses to be examined on his behalf;

Note: If the employee applies orally or in writing for the supply of copies of the statements of witnesses mentioned in the list referred to in Sub-rule (3), the Inquiring Authority shall furnish him with such copies as early as possible and in any case not later than three days before the commencement of the examination of the witnesses on behalf of the Disciplinary Authority.

(iii) give a notice within ten days of the order or within such further time not exceeding ten days as the Inquiring Authority may allow, for the discovery or production of any documents which are in the possession of the Government but not mentioned in the list referred to in Sub-rule (3).

Note: The employee shall indicate the relevance of the documents required by him to be discovered or produced by the Government.

(12) The Inquiring Authority shall, on receipt of the notice for the discovery or production of documents, forward the same or

तक, जो अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट की जाए, पेश करने की अध्यपेक्षा के साथ उस प्राधिकारी को जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज रखे हैं, अग्रेषित करेगा।

परन्तु जाँच प्राधिकारी, ऐसे दस्तावेज की, जो उसकी राय में मामले से सुसंगत नहीं हैं, ऐसे कारणों के आधार पर जो लेखबद्ध किए जाएंगे, अध्यपेक्षा करने से इनकार कर सकेगा।

(13) उप-नियम (12) में निर्दिष्ट अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर प्रत्येक प्राधिकारी जिसकी अभिरक्षा या कब्जें में अध्यपेक्षित दस्तावेज हों, उन्हें जाँच प्राधिकारी के सामने पेश करेगा।

परन्तु यदि उस प्राधिकारी का, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में अध्यपेक्षित दस्तावेज हों, ऐसे कारणों के आधार पर, जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह समाधान हो जाना है कि ऐसे सभी दस्तावेजों या उनमें से किसी का पेश किया जाना लोक हित या राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध होगा, तो वह जाँच प्राधिकारी को तदनुसार इत्तला देगा और जाँच प्राधिकारी ऐसी इत्तला मिलने पर, वह इत्तला कर्मचारी को संसूचित करेगा और उस अध्यपेक्षा को प्रत्याहृत कर लेगा जो उसने ऐसे दस्तावेज को पेश करने या प्रकटीकरण के लिए की है।

[1][(14) जाँच के लिए नियत तारीख को, मौखिक और दस्तावेज साक्ष्य, जिसके द्वारा आरोप के अनुच्छेदों को साबित करने का प्रस्ताव है, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से पेश किया जाएगा। उपस्थापक अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से साक्षियों की परीक्षा की जाएगी और उनकी प्रतिपरीक्षा कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से की जाएगी। उपस्थापक अधिकारी ऐसी किन्हीं बातों पर साक्षियों की पुनः परीक्षा करने का हकदार होगा जिन पर उनकी प्रतिपरीक्षा की गई है,किन्तु जाँच प्राधिकारी की इजाज़त के बिना किसी नई बात पर नहीं । जाँच अधिकारी साक्षियों से ऐसे प्रश्न भी कर सकेगा जो वह ठीक समझे।]

[1]दिनांक 06.03.2013 की अधिसूचना सं.ई. 14015/1/2012-IV द्वारा प्रतिस्थापित। दिनांक 26.03.2013 के एस.ओ.सं. 830 (ई)

copies thereof, to the authority in whose custody or possession the documents are kept, with a requisition for the production of the documents by such date as may be specified in such requisition:

Provided that the Inquiring Authority may, for reasons to be recorded by it in writing, refuse to requisition such of the documents as are, in its opinion, not relevant to the case.

(13) On receipt of the requisition referred to in Sub-rule (12), every authority having the custody or possession of the requisitioned documents shall produce the same before the Inquiring Authority:

Provided that if the authority having the custody or possession of the requisitioned documents is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that the production of all or any of such documents would be against the public interest or security of the State, it shall inform the Inquiring Authority accordingly and the Inquiring Authority shall, on being so informed, communicate the information to the employee and withdraw the requisition made by it for the production or discovery of such documents.

[1][(14) On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the Disciplinary Authority. The witnesses shall be examined by the Presenting Officer and may be cross-examined by or on behalf of the employee. The Presenting Officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross-examined, but not on any new matter, without the leave of the Inquiring Authority. The Inquiring Authority may also put such questions to the witnesses as it thinks fit.]

[1]Substituted vide Notification No. E. 14015/1/2012-IV dated 06.03.2013 – S.O. No. 830(E) dated 26.03.2013

टिप्पणः यदि पूर्वोत्तर परीक्षा/प्रतिपरीक्षा के अन्तर्गत पहले से आने वाली किसी नई बात पर पुनः परीक्षा करने के लिए उपस्थापक अधिकारी को अनुज्ञात किया जाता है, तो पुनः परीक्षा में आने वाली ऐसी नई बातों पर न्याय के हित की पूर्ति के लिए, प्रतिपरीक्षा करने के लिए भी अनुज्ञात की जाएगी।

(15) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामले के बंद किए जाने से पूर्व ऐसी आवश्यकता प्रतीत हो, तो जाँच प्राधिकारी, उपस्थापक प्राधिकारी को ऐसा साक्ष्य पेश करने के लिए स्वविवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा जो कर्मचारियों को दी गई सूची में सम्मिलित न हो या स्वयं नए साक्ष्य की माँग कर सकेगा और किसी साक्षी की पुनः परीक्षा कर सकेगा और ऐसी दशा में कर्मचारी ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य की, जिसके पेश करने का प्रस्ताव हो, एक प्रति, यदि वह उसकी माँग कर पाने का और ऐसे नये साक्ष्य के पेश किए जाने से पूर्व पूरे तीन दिवसों के लिए जाँच के स्थगन का, जिनमें से स्थगन दिवस और वह दिवस जिसके लिए जाँच स्थगित की गई हो, अपवर्जित किया जाएगा, हकदार होगा। जाँच प्राधिकारी कर्मचारी को ऐसे दस्तावेजों के, अभिलेखित किए जाने से पूर्व निरीक्षण करने का अवसर देगा। जाँच प्राधिकारी, कर्मचारी को नया साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा उस दशा में दे सकेगा जबकि उसकी यह राय हो कि न्याय के हित में ऐसे साक्ष्य का पेश किया जाना आवश्यक है।

टिप्पणःसाक्ष्य की किसी कमी को पूरा करने के लिए नया साक्ष्य अनुज्ञात या तलब नहीं किया जाएगा और न किसी साक्षी को पुनः बुलाया जाएगा। ऐसा साक्ष्य केवल उस दशा में तलब किया जा सकेगा जिसमें कि उस साक्ष्य में, जो मूलतः पेश किया गया है, कोई अन्तर्निहित कमी या त्रुटि हो।

(16) जब अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामला बंद कर दिया जाए तब कर्मचारी से अपेक्षा की जाएगी कि वह प्रतिपरीक्षा मौखिक या लिखित रूप में, जैसा कि वह अच्छा समझे, कथित करे। यदि प्रतिपरीक्षा मौखिक रूप से की जाती है तो उसे अभिलिखित किया जाएगा और कर्मचारी से अभिलेख पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाएगी। दोनों में से किसी भी दशा में, प्रतिपरीक्षा के कथन की प्रति उपस्थापक अधिकारी को, यदि कोई नियुक्त किया गया हो, दी जाएगी।

Note: If re-examination by the Presenting Officer is allowed on any new matter not already covered by the earlier examination/ cross-examination, a cross-examination on such new matters covered by the re-examination may also be allowed to meet the ends of natural justice.

(15) If it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the Disciplinary Authority, the Inquiring Authority may, in its discretion, allow the Presenting Officer to produce evidence not included in the list given to the employee or may itself call for new evidence or recall and re-examine any witness and in such case the employee shall be entitled to have, if he demands it, a copy of the list of further evidence proposed to be produced and an adjournment of the inquiry for three clear days before the production of such new evidence, exclusive of the day of adjournment and the day to which the inquiry is adjourned. The Inquiring Authority shall give the employee an opportunity of inspecting such documents before they are taken on the record. The Inquiring Authority may also allow the employee to produce new evidence, if it is of the opinion that the production of such evidence is necessary in the interest of justice.

Note: New evidence shall not be permitted or called for nor any witness recalled to fill up any gap in the evidence. Such evidence may be called for only when there is an inherent lacuna or defect in the evidence which has been produced originally.

(16) When the case for the Disciplinary Authority is closed, the employee shall be required to state his defence, orally or in writing, as he may prefer. If the defence is made orally, it shall be recorded and the employee shall be required to sign the record. In either case, a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting Officer, if any, appointed.

(17) तत्पश्चात् कर्मचारी की ओर से साक्ष्य पेश किया जाएगा। कर्मचारी, यदि वह ऐसा करना अच्छा समझे, अपनी ओर से स्वयं अपनी परीक्षा कर सकेगा। तत्पश्चात् उन साक्षियों की परीक्षा की जाएगी जो कर्मचारी द्वारा पेश किये जाएं और उन्हें उपबन्धों के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी उनकी प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा और परीक्षा कर सकेगा जो अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से साक्षियों को लागू हो।

(18) जाँच प्राधिकारी, कर्मचारी द्वारा अपना मामला बंद करने के पश्चात इस प्रयोजन के लिए कि कर्मचारी अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण देने में समर्थ हो सके, साक्ष्य में कर्मचारी के विरुद्ध प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों के बारे में उससे साधारणतया प्रश्न कर सकेगा और यदि कर्मचारी ने स्वयं अपनी परीक्षा नहीं की है तो ऐसा करेगा।

(19) जाँच प्राधिकारी, साक्ष्य का पेश किया जाना पूरा होने के पश्चात्, उपस्थापक अधिकारी को, यदि कोई नियुक्त किया गया हो, और कर्मचारी को सुन सकेगा या यदि वह ऐसा करना चाहे तो उन्हें अपने-अपने मामलों के लिखित संक्षेप फाइल करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(20) यदि वह कर्मचारी, जिसे आरोप के अनुच्छेद की एक प्रति परिदत्त की गई है, इस प्रयोजन की विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत नहीं करता है या जाँच के प्राधिकारी के सामने स्वयं हाजिर नहीं होता है या इस नियम के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है या ऐसा करने से इनकार करता है तो जाँच प्राधिकारी *एक-पक्षीय* जाँच कर सकेगा।

(21) (क) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी ने, जो नियम 8 के खण्ड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम है (किन्तु नियम 8 के खण्ड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं है) स्वयं किसी आरोप के अनुच्छेदों की जाँच की है या कार्रवाई की है और उस प्राधिकारी की, स्वयं अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए या उसके द्वारा नियुक्त किसी जाँच प्राधिकारी के निष्कर्षों के आधार पर अपने विनिश्चय के

(17) The evidence on behalf of the employee shall then be produced. The employee may examine himself in his own behalf, if he so prefers. The witnesses produced by the employee shall then be examined and shall be liable to cross-examination, re-examination and examination by the Inquiring Authority according to the provisions applicable to the witnesses for the Disciplinary Authority.

(18) The Inquiring Authority may, after the employee closes his case, and shall, if the employee has not examined himself, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the employee to explain any circumstances appearing in the evidence against him.

(19) The Inquiring Authority may, after the completion of the production of evidence, hear the Presenting Officer, if any, appointed, and the employee, or permit them to file written briefs of their respective case, if they so desire.

(20) If the employee, to whom a copy of the articles of charge has been delivered, does not submit the written statement of defence on or before the date specified for the purpose or does not appear in person before the Inquiring Authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of this Rule, the Inquiring Authority may hold the inquiry *ex-parte*.

(21) (a) Where a Disciplinary Authority competent to impose any of the penalties specified in Clauses (i) to (iv) of Rule 8 (but not competent to impose any of the penalties specified in Clauses (v) to (ix) of Rule (8), has itself inquired into or caused to be inquired into the articles of any charge and that authority, having regard to its own findings or having regard to his decision on any of the findings of any Inquiring Authority appointed by it, is of the opinion that the penalties specified in Clauses (v) to (ix) of Rule 8

ध्यान में रखते हुए, यह राय होती है कि कर्मचारी पर नियम 8 के खण्ड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह प्राधिकारी जाँच के अभिलेख ऐसे अनुशासनकि प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा जो अन्तिम वर्णित शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम है।

(ख) वह अनुशासनिक प्राधिकारी, जिसको इस प्रकार अभिलेख भेजे जाएं अभिलिखित साक्ष्य पर कार्य करेगा या यदि उसकी वह राय हो कि न्याय के हित में किन्हीं साक्षियों की अतिरिक्त परीक्षा करनी आवश्यक है, तो वह साक्षी को पुनः बुला सकेगा और उस साक्षी की परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा कर सकेगा तथा कर्मचारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जिसे वह इन नियमों के अनुसरण में ठीक समझे।

(22) जब कभी किसी जाँच प्राधिकारी की, किसी जाँच में पूर्णतः या अंशतः साक्ष्य सुनने और उसे अभिलिखित करने के पश्चात्, उस में अधिकारिता नहीं रह जाती है और कोई अन्य जाँच प्राधिकारी जिसे ऐसी अधिकारिता प्राप्त है और जो ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करता है, उसका उत्तरवर्ती होता है तो ऐसा उत्तरवर्ती जाँच प्राधिकारी, अपने पूर्ववर्ती द्वारा इस प्रकार अभिलिखित या अंशतः अपने पूर्ववर्ती द्वारा और अंशतः स्वयं अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर कार्य कर सकेगाः

परन्तु यदि उत्तरवर्ती जाँच प्राधिकारी की यह राय है कि न्याय के हित में साक्षियों में से किसी साक्षी की, जिसका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया गया है, अतिरिक्त परीक्षा आवश्यक है तो वह ऐसे किन्हीं साक्षियों की परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा इसमें इसके पूर्व उपबन्धित रीति से कर सकेगा।

(23) (i) जाँच की समाप्ति के पश्चात् एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी -

(क) आरोप के अनुच्छेद और अवचार या कदाचार के लांछनों का विवरण;

(ख) आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद की बाबत कर्मचारी की प्रतिरक्षा;

(ग) आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद की बाबत साक्ष्य का मूल्यांकन;

should be imposed on the employee, that authority shall forward the records of the inquiry to such Disciplinary Authority as is competent to impose the last mentioned penalties.

(b) The Disciplinary Authority to which the records are so forwarded may act on the evidence on the record or may, if it is of the opinion that further examination of any of the witnesses is necessary in the interests of justice, recall the witness and examine, cross-examine and re-examine the witness and may impose on the employee such penalty as it may deem fit in accordance with these Rules.

(22) Whenever any Inquiring Authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry, ceases to exercise jurisdiction therein, and is succeeded by another Inquiring Authority which has, and which exercises such jurisdiction, the Inquiring Authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself:

Provided that if the succeeding Inquiring Authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interests of justice, it may recall, examine, cross-examine and re-examine any such witnesses as hereinbefore provided.

(23) (i) After the conclusion of the inquiry, a report shall be prepared and it shall contain –

(a) the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;

(b) the defence of the employee in respect of each article of charge;

(c) an assessment of the evidence in respect of each article of charge;

(घ) आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद पर निष्कर्ष और उनके लिए कारण।

स्पष्टीकरण: यदि जाँच-प्राधिकारी की राय में, जाँच की कार्यवाहियों से ऐसा आरोप स्थापित होता हो जो आरोप के मूल अनुच्छेदों से भिन्न है, तो वह आरोप के ऐसे अनुच्छेद पर अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा:

परन्तु आरोप के ऐसे अनुच्छेद पर निष्कर्ष तब तक अभिलिखित नहीं किए जाएंगे जब तक कि कर्मचारी ने या तो उन तथ्यों को जिन पर आरोप का ऐसा अनुच्छेद आधारित है, स्वीकार न कर लिया हो या आरोप के ऐसे अनुच्छेद के विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षा करने का उसको युक्तियुक्त अवसर न मिल चुका हो।

(ii) जाँच प्राधिकारी, जहाँ वह स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है, अनुशासनिक प्राधिकारी को जाँच के अभिलेख भेजेगा जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी होंगे:

(क) खण्ड (i) के अधीन उसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट;

(ख) कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया गया लिखित कथन, यदि कोई हो;

(ग) जाँच के दौरान पेश किया गया मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य;

(घ) लिखित संक्षेप, यदि कोई हों, जो जाँच के दौरान उपस्थापक अधिकारी या कर्मचारी या दोनों द्वारा फाइल किए गए हों; और

(ङ) वे आदेश जो जाँच के बारे में अनुशासनिक प्राधिकारी और जाँच प्राधिकारी द्वारा किए गए हों।

12. जाँच रिपोर्ट पर कार्रवाई

(1) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह स्वयं जाँच प्राधिकारी नहीं है, ऐसे कारणों के आधार पर जो लेखबद्ध किए जाएंगे, मामले को अतिरिक्त जाँच और रिपोर्ट के लिए जाँच अधिकारी को प्रेषित कर सकेगा और तदुपरि जाँच प्राधिकारी नियम 11 के उपबन्धों के अनुसार यावतशक्य अतिरिक्त जाँच कर सकेगा ।

(2) प्रशासनिक प्राधिकारी, यदि आरोप के किसी अनुच्छेद पर जाँच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमत हो तो वह ऐसी असहमति के कारणों को अभिलिखित

(d) the findings on each article of charge and the reasons therefor.

Explanation: If in the opinion of the Inquiring Authority, the proceedings of the inquiry establish any article of charge different from the original articles of the charge, it may record its findings on such article of charge:

Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless the employee has either admitted the facts on which such article of charge is based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge.

(ii) The Inquiring Authority, where it is not itself the Disciplinary Authority, shall forward to the Disciplinary Authority, the records of inquiry which shall include:

(a) the report prepared by it under Clause (i);

(b) the written statement of defence, if any, submitted by the employee;

(c) the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry;

(d) written briefs, if any, filed by the Presenting Officer or the employee or both during the course of the inquiry; and

(e) the orders, if any, made by the Disciplinary Authority and the Inquiring Authority in regard to the inquiry.

12. Action on the Inquiry Report

(1) The Disciplinary Authority, if it is not itself the Inquiring Authority, may, for reasons to be recorded by it in writing, remit the case to the Inquiring Authority for further inquiry and report; the Inquiring Authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of Rule 11, as far as may be.

(2) The Disciplinary Authority shall, if it disagrees with the findings of the Inquiring Authority on any article of charge, record its

करेगा और यदि इस प्रयोजन के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य हो तो वह ऐसे आरोप पर स्वयं अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

[1][(2क) अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं द्वारा की गई जाँच, यदि कोई हो, की रिपोर्ट की एक प्रति अथवा जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी, जाँच प्राधिकारी न हो, तो जाँच प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति असहमति के अपने अनंतिम कारणों, यदि कोई हो, सहित सरकारी कर्मचारी को जारी आरोप-पत्र पर जाँच प्राधिकारी के निष्कर्षों की एक-एक प्रति उस सरकारी कर्मचारी को प्रेषित करेगा अथवा प्रेषित करवाएगा जिससे (सरकारी कर्मचारी) यदि वह चाहे तो इस बात को ध्यान में रखे बिना कि रिपोर्ट उसके पक्ष में है अथवा नहीं, 15 दिन के भीतर अनुशासनिक प्राधिकारी को अपना लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।

(2ख) अनुशासनिक प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करेगा और उप-नियम (3) और (4) में यथा विनिर्दिष्टमामले में आगे की कार्रवाई करने से पहले अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा।]

(3) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी के आरोप के सभी अनुच्छेदों या उनमें से किसी अनुच्छेद पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए यह राय हो कि कर्मचारी पर नियम 8 के खण्ड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह नियम 13 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश कर सकेगा;

परन्तु ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें आयोग से परामर्श करना आवश्यक है, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जाँच का अभिलेख आयोग को, उसकी सलाह के लिए भेजा जाएगा और कर्मचारी पर कोई शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश करने से पूर्व ऐसी सलाह पर विचार किया जाएगा।

[2][(4) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की, आरोप के सभी अनुच्छेदों या उनमें से किसी अनुच्छेद पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए और जाँच के दौरान

[1]दिनांक 27.12.2000 की अधिसूचना सं. 2/5(1)/98-V के द्वारा जोड़ा गया है। एस.ओ.सं. 34 दि. 13.1.2001

[2]दिनांक 16.03.1979 की अधिसूचना सं. 2/9(12)/74-III(I) के द्वारा प्रतिस्थापित। एस.ओ.सं. 1178 दि. 7.4.1979

reasons for such disagreement and record its own findings on such charge, if the evidence on record is sufficient for the purpose.

[1][(2A) The Disciplinary Authority shall forward or cause to be forwarded a copy of the report of the inquiry, if any, held by the Disciplinary Authority or where the Disciplinary Authority is not the Inquiring Authority, a copy of the report of the Inquiring Authority together with its own tentative reasons for disagreement, if any, with the findings of Inquiring Authority on any article of charge to the Government servant who shall be required to submit, if he so desires, his written representation or submission to the Disciplinary Authority within fifteen days, irrespective of whether the report is favourable or not to the Government servant.

(2B) The Disciplinary Authority shall consider the representation, if any, submitted by the Government servant and record its findings before proceeding further in the matter as specified in Sub-rules (3) and (4).]

(3) If the Disciplinary Authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge is of the opinion that any of the penalties specified in Clauses (i) to (iv) of Rule 8 should be imposed on the employee, it shall, notwithstanding anything contained in Rule 13, make an order imposing such penalty:

Provided that in every case where it is necessary to consult the Commission, the record of the inquiry shall be forwarded by the Disciplinary Authority to the Commission for its advice and such advice shall be taken into consideration before making any order imposing any penalty on the employee.

[2][(4) If the Disciplinary Authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge and on the basis of the evidence

[1]Inserted vide Notification No. 2/5(1)/98-V dated 27.12.2000 – S.O. No. 34 dated 13.01.2001

[2]Substituted vide Notification No. 2/9(12)/74-III(I) dated 16.03.1979 – S.O. No. 1178 dated 07.04.1979

पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर, यह राय है कि नियम 8 के खण्ड (v) से (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति सरकारी सेवक पर अभिरोपित की जानी चाहिए तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश पारित करेगा और यह आवश्यक नहीं होगा कि सरकारी सेवक को ऐसी शास्ति के विरुद्ध जिसके अधिरोपण का प्रस्ताव है, अभ्यावेदन करने का कोई अवसर दिया जाएगाः

परन्तु ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें आयोग से परामर्श आवश्यक है, जाँच का अभिलेख अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आयोग को उसकी सलाह के लिए भेजा जाएगा और सरकारी सेवक पर ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश करने से पूर्व ऐसी सलाह को ध्यान में रखा जाएगा।]

13. छोटी शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया

(1) नियम (12) उपनियम (3) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए किसी कर्मचारी पर नियम 8 के खण्ड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश -

(क) कर्मचारी को लिखित रूप में उस कार्यवाही की बाबत जिसे उसके विरुद्ध करने का प्रस्ताव है और अवचार या कदाचार के लांछनों को, जिनके आधार पर ऐसी कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है, सूचित किए बिना और ऐसा अभ्यावेदन, जिसे वह ऐसे प्रस्ताव के विरुद्ध करना चाहे, करने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिए बिना;

(ख) ऐसे प्रत्येक मामले मे जिसमें अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि ऐसी जाँच आवश्यक है, नियम 11 के उपनियम (3) से (23) में अधिकथित रीति से जाँच किए बिना;

(ग) कर्मचारियों द्वारा खण्ड (क) के अधीन प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन यदि कोई हो, तथा खण्ड (ख) के अधीन किए गए अभिलेख, यदि कोई हों, पर विचार किए बिना;

(घ) अवचार या कदाचार के विरुद्ध लांछन पर निष्कर्ष अभिलिखित किए बिना और

adduced during the inquiry, is of the opinion that any of the penalties specified in Clauses (v) to (ix) of Rule 8 should be imposed on the Government servant, it shall make an order imposing such penalty and it shall not be necessary to give the Government servant any opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed:

Provided that in every case where it is necessary to consult the Commission, the record of the inquiry shall be forwarded by the Disciplinary Authority to the Commission for its advice and such advice shall be taken into consideration before making an order imposing any such penalty on the Government servant.]

13. Procedure for imposing minor penalties

(1) Subject to the provisions of the Sub-rule (3) of Rule 12, no order imposing on an employee any of the penalties specified in Clauses (i) to (iv) of Rule 8 shall be made except after –

(a) informing the employee in writing of the proposal to take action against him and of the imputations of misconduct or misbehaviour on which it is proposed to be taken, and giving him a reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposal;

(b) holding an inquiry, in the manner laid down in Sub-rules (3) to (23) of Rule 11, in every case in which the Disciplinary Authority is of the opinion that such inquiry is necessary;

(c) taking the representation, if any, submitted by the employee under Clause (a) and the record of inquiry, if any, held under Clause (b) into consideration;

(d) recording a finding on each imputation of misconduct or misbehaviour; and

(ङ) जहाँ आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो, वहाँ परामर्श किए बिना; नहीं किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी मामले में अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, जो उस उपनियम के खण्ड (क) के अधीन कर्मचारियों द्वारा किया गया हो, पर विचार करने के पश्चात् वेतन-वृद्धियों को रोकने का प्रस्ताव किया जाता है और वेतन-वृद्धियों के ऐसे रोके जाने से कर्मचारी को संदेय पेंशन राशि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए वेतन-वृद्धियों को रोकने या संचयी प्रभाव से वेतन-वृद्धियों को किसी अवधि के लिए रोकने का प्रस्ताव किया जाता है, तो कर्मचारी पर ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश करने से पूर्व नियम 11 के उपनियम (3) से (23) में अधिकथित रीति से जाँच की जाएगी।

(3) ऐसे मामलों में कार्यवाहियों के अभिलेख में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे -

(i) कर्मचारी को उस कार्यवाही की संसूचना की एक प्रति जिसमें उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है।

(ii) उसको परिदत्त अनाचार या कदाचार के लांछन के विवरण की एक प्रति;

(iii) उसका अभ्यावेदन, यदि कोई हो,

(iv) जॉच के दौरान पेश किया गया साक्ष्य;

(v) आयोग की सलाह, यदि कोई हो;

(vi) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन पर निष्कर्ष; और

(vii) मामले पर आदेश तथा उसके लिए कारण।

[1][14. आदेशों की संसूचना

कर्मचारी को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश संसूचित किए जाएंगे और उसे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा की गई जाँच, यदि कोई हो,

[1]दिनांक 12.10.1995 की अधिसूचना सं. 2/5(1)/91-V के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। एस.ओ.सं. 2586 दि. 28.10.1995

(e) consulting the Commission where such consultation is necessary.

(2) Notwithstanding anything contained in Clause (b) of Sub-rule (1), if in a case it is proposed after considering the representation, if any, made by the employee under Clause (a) of that Sub-rule, to withhold increments of pay and such withholding of increments is likely to affect adversely the amount of pension payable to the employee or to withhold increments of pay for a period exceeding three years, or to withhold increments of pay with cumulative effect for any period, an inquiry shall be held in the manner laid down in Sub-rules (3) to (23) of Rule 11, before making any order imposing on the employee any such penalty.

(3) The record of the proceedings in such cases shall include –

(i) a copy of the intimation to the employee of the proposal to take action against him;

(ii) a copy of the statement of imputations of misconduct or misbehaviour delivered to him;

(iii) his representation, if any;

(iv) the evidence produced during the inquiry;

(v) the advice of the Commission, if any;

(vi) the findings on each imputation of misconduct or misbehaviour; and

(vii) the orders on the case together with the reasons therefor.

[1][14. Communication of Orders

Orders made by the Disciplinary Authority shall be communicated to the employee who shall also be supplied with a copy of its findings on

[1]Substituted vide Notification No. 2/5(1)/91-V dated 12.10.1995 – S.O. No. 2856 dated 28.10.1995

की एक प्रति तथा आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद पर उसके निष्कर्ष की एक प्रति भी दी जाएगी या जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी जाँच प्राधिकारी नहीं है, वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्षों का विवरण तथा उसकी असहमति के संक्षिप्त कारण, यदि कोई हों, और जाँच प्राधिकारी के निष्कर्ष और आयोग द्वारा दी गई सलाह यदि कोई हो, की भी एक प्रति और जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी ने आयोग की सलाह नहीं मानी है, वहाँ इस प्रकार न मानने के कारणों का संक्षिप्त विवरण, दिए जाएंगे]

15. सामान्य कार्यवाहियां

(1) जहाँ किसी मामले में दो या अधिक कर्मचारी संबद्ध हैं वहाँ राष्ट्रपति या कोई अन्य प्राधिकारी जो ऐसे सभी कर्मचारियों पर सेवा से पदच्युति की शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो, यह निदेश करते हुए आदेश कर सकेगा कि उन सभी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही सामान्य कार्यवाही में की जा सकती है।

टिप्पण: यदि ऐसे कर्मचारियों की पदच्युति की शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भिन्न-भिन्न है तो अनुशासनिक कार्यवाही सामान्य कार्यवाही में करने के लिए आदेश ऐसे प्राधिकारियों में से उच्चतम प्राधिकारी द्वारा अन्य की सम्मति से दिया जाएगा।

(2) नियम 9 के उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे प्रत्येक आदेश में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा -

(i) वह प्राधिकारी जो ऐसी सामान्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकेगा;

(ii) नियम 8 में विनिर्दिष्ट वे शास्तियाँ जिन्हें अधिरोपित करने के लिए ऐसा अनुशासनिक प्राधिकारी सक्षम होगा;

(iii) क्या नियम 11 और नियम 12 या नियम 13 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण उस कार्यवाही में किया जाएगा।

[1][16. कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया

नियम 11 से 15 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी -

(i) जहाँ किसी कर्मचारी पर ऐसे आचरण के आधार पर, जिसके कारण आपराधिक आरोप पर उसकी दोषसिद्धि हुई है, कोई शास्ति अधिरोपित की गई है; या

[1]दिनांक 23.10.1992 की अधिसूचना सं. 2/5(1)/91-VI के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। एस.ओ.सं. 2891 दि. 21.11.1992

each article of charge, or where the Disciplinary Authority is not the Inquiring Authority, a statement of the findings of the Disciplinary Authority together with brief reasons for its disagreement, if any, with the findings of the Inquiring Authority and also a copy of the advice, if any, given by the Commission and, where the Disciplinary Authority has not accepted the advice of the Commission, a brief statement of the reasons for such non-acceptance.]

15. Common Proceedings

(1) Where two or more employees are concerned in any case, the President or any other authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such employees may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceeding.

Note: If the authorities competent to impose the penalty of dismissal on such employees are different, an order for taking disciplinary action in a common proceeding may be made by the highest of such authorities with the consent of the others.

(2) Subject to the provisions of Sub-rule (3) of Rule 9, any such order shall specify –

(i) the authority which may function as the Disciplinary Authority for the purpose of such common proceeding;

(ii) the penalties specified in Rule 8 which such Disciplinary Authority shall be competent to impose;

(iii) whether the procedure laid down in Rule 11 and Rule 12 or Rule 13 shall be followed in the proceeding.

[1][16. Special Procedure in certain cases

Notwithstanding anything contained in Rules 11 to 15 –

(i) where any penalty is imposed on an employee on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge; or

[1]Substituted vide Notification No. 2/5(1)/91-VI dated 23.10.1992 – S.O. No. 2891 dated 21.11.1992

(ii) जहाँ अनुशासनिक प्रक्रिया का ऐसे कारणों के आधार पर जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों में उपबंधित रीति से जाँच करना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है; या

(iii) जहाँ राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में इन नियमों में उपबंधित रीति से जाँच करना समीचीन नहीं, है:

वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करेगा और उस पर ऐसे आदेश कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे;

परन्तु कर्मचारी को खण्ड (i) के अन्तर्गत किसी आदेश के जारी करने से पूर्व उस पर अधिरोपित करने के लिए प्रस्तावित शास्ति पर अभ्यावेदन देने का अवसर दिया जाए।

परन्तु इन नियमों के अधीन किस मामले में कोई आदेश करने से पूर्व जहाँ आयोग का परामर्श आवश्यक हो, वहाँ आयोग से परामर्श किया जाएगा।]

17. केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों, राज्य सरकारों आदि को उधार दिए गए अधिकारियों के बारे में उपबन्ध, आदि

(1) जहाँ अन्तरिक्ष विभाग के किसी कर्मचारी की सेवाएं केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग या राज्य सरकार या स्थानीय या अन्य प्राधिकारी को (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् "उधार लेने वाला प्राधिकारी" कहा गया है) उधार दिए जाते हैं, वहाँ उधार लेने वाले प्राधिकारी को ऐसे कर्मचारी को निलम्बनाधीन रखने के प्रयोजन के लिए नियुक्त प्राधिकारी की और उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों का संचालन करने के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी को शक्तियां प्राप्त होंगी:

परन्तु उधार लेने वाला प्राधिकारी, यथास्थिति उन परिस्थितियों जिनके कारण ऐसे कर्मचारी का निलम्बन आदेश हुआ है या अनुशासनिक कार्यवाही के प्रारंभ के बारे में अन्तरिक्ष विभाग को तुरन्त सूचित करेगा।

(2) कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए -

(ii) where the Disciplinary Authority is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these Rules; or

(iii) where the President is satisfied that in the interest of the security of the State, it is not expedient to hold any inquiry in the manner provided in these Rules,

the Disciplinary Authority may consider the circumstances of the case and make such orders thereon as it deems fit:

Provided that the employee may be given an opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed before any order is made in a case under Clause (i):

Provided further that the Commission shall be consulted, where such consultation is necessary, before any orders are made in any case under this Rule.]

17. Provision regarding officers lent to other Central Government Departments, State Governments, etc.

(1) Where the services of an employee are lent by the Department of Space to another Department of the Central Government or to a State Government or to a local or other authority (hereinafter in this Rule referred as "the borrowing authority"), the borrowing authority shall have the powers of the Appointing Authority under these Rules for the purpose of placing such employee under suspension and of the Disciplinary Authority for the purpose of conducting a disciplinary proceeding against him:

Provided that the borrowing authority shall forthwith inform the Department of Space of the circumstances leading to the order of suspension of such employee or the commencement of the disciplinary proceeding, as the case may be.

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceeding conducted against the employee –

(i) यदि उधार लेने वाले प्राधिकारी की यह राय हो कि कर्मचारी पर नियम 8 के खण्ड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह अन्तरिक्ष विभाग से परामर्श करने के पश्चात् मामले में ऐसे आदेश कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे:

परन्तु उधार लेने वाले प्राधिकारी और अन्तरिक्ष विभाग के बीच मतभेद होने की दशा में उस कर्मचारी की सेवा, अन्तरिक्ष विभाग के व्ययनाधीन पर प्रतिस्थापित कर दी जाएगी;

(ii) यदि उधार लेने वाले प्राधिकारी की यह राय हो कि कर्मचारी पर नियम 8 के खण्ड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह उसकी सेवाएं पुनः अन्तरिक्ष विभाग के व्ययनाधीन करेगा और उसको जाँच की कार्यवाहियां भेजेगा और तदुपरि अन्तरिक्ष विभाग उस पर समुचित स्तर पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जिन्हें वह ठीक समझे:

परन्तु ऐसे कोई आदेश करने से पूर्व अनुशासनिक प्राधिकारी नियम 12 के उपनियम (3) और (4) के उपबन्धों का अनुपालन करेगा।

स्पष्टीकरण: अनुशासनिक प्राधिकारी, उधार लेने वाले प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे गए जाँच के अभिलेख के आधार पर या ऐसी अतिरिक्त जाँच करने के पश्चात् जैसा वह नियम 11 के अनुसरण में यथाशक्य समझे, इस खण्ड के अधीन आदेश कर सकेगा।

टिप्पण: जब कोई कर्मचारी अन्तरिक्ष विभाग द्वारा उधार दिया जाता है तो उसे इन नियमों के उपबन्धों की बाबत उधार लेने वाले प्राधिकारी को अवगत कराना चाहिए।

18. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से या राज्य सरकार आदि से उधार लिए गए अधिकारियों की बाबत उपबन्ध।

केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग या राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ प्राधिकारियों या स्थानीय या अन्य प्राधिकारियों से उधार लिए गए अधिकारियों के मामले उनको लागू होने वाले नियमों के अधीन निपटाए जाएंगे।

(i) if the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in Clauses (i) to (iv) of Rule 8 should be imposed on the employee, it may, after consultation with the Department of Space, make such orders on the case as it deems necessary:

Provided that in the event of a difference of opinion between the borrowing authority and the Department of Space, the services of the employee shall be replaced at the disposal of the Department of Space;

(ii) if the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in Clauses (v) to (ix) of Rule 8 should be imposed on the employee, it shall replace his services at the disposal of Department of Space and transmit to it the proceedings of the inquiry and thereupon the Department of Space may, at the appropriate level, pass such orders thereon as it may deem necessary:

Provided that before passing any such order, the Disciplinary Authority shall comply with the provisions of Sub-rules (3) and (4) of Rule 12.

Explanation: The Disciplinary Authority may make an order under this Clause on the record of the inquiry transmitted to it by the borrowing authority or after holding such further inquiry as it may deem necessary, as far as may be, in accordance with Rule 11.

Note: The borrowing authority should be appraised of the provision of these Rules when any employee is lent by the Department of Space.

18. Provision regarding officers borrowed from any other Department of the Central Government or from a State Government, etc.

The cases of officers borrowed from any other Department of the Central Government or a State Government or authorities subordinate thereto or a local or other authority shall be dealt with under the rules applicable to them.

भाग VII : अपीलें

19. ऐसे आदेश जिनके विरुद्ध अपील नहीं होगी

इस भाग में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी -

(i) राष्ट्रपति द्वारा किया गया कोई आदेश;

(ii) निलम्बन के आदेश से भिन्न ऐसा आदेश जो अन्तर्वर्ती प्रकृति का हो या जो अनुशासनिक कार्यवाही के अंतिम निपटारे की [1][सहायता की प्रकृति का] हो;

(iii) कोई आदेश जो नियम 11 के अधीन जाँच प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया हो।

20. ऐसे आदेश जिनके विरुद्ध अपील होगी

नियम 19 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई भी कर्मचारी निम्नलिखित सभी आदेशों या उनमें से किसी आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा, अर्थात् -

(i) निलम्बन का आदेश जो नियम 7 के अधीन किया गया है या किया गया समझा गया हो ;

(ii) [2][कोई भी आदेश जो नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करता है, चाहे वह अनुशासनिक प्राधिकारी द्वरा किया गया हो या अपीली प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा किया गया हो।]

(iii) कोई आदेश जो नियम 8 के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति को वर्द्धित करता है;

(iv) आदेश जो -

(क) नियमों अथवा करार द्वारा यथा नियंत्रित उसके वेतन, भत्ते, पेंशन अथवा सेवा की अन्य शर्तों से उसे वंचित रखता हो या उन्हें उसके हित के विरूद्ध परिवर्तित करता हो; अथवा

(ख) ऐसे किसी नियम अथवा करार के प्रावधानों की उसके हितों के विरूद्ध व्याख्या करता हो;

---

[1] दिनांक 27.3.1996 की अधिसूचना सं. 2/5(1)/91-V के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। एस.ओ.सं. 1241 दि. 20.4.1996

[2] दिनांक 06.03.2013 की अधिसूचना सं.ई. 14015/1/2012-IV द्वारा प्रतिस्थापित। दिनांक 26.03.2013 के एस.ओ.सं. 830 (ई)

PART – VII : APPEALS

19. Orders against which no appeal lies

Notwithstanding anything contained in this Part, no appeal shall lie against –

(i) any order made by the President;

(ii) any order of an interlocutory nature or of the nature of a [1][step-in-aid of] the final disposal of a disciplinary proceeding, other than an order of suspension;

(iii) any order passed by an Inquiring Authority in the course of an inquiry under Rule 11.

20. Orders against which appeal lies

Subject to the provisions of Rule 19, an employee may prefer an appeal against all or any of the following orders, namely –

(i) an order of suspension made or deemed to have been made under Rule 7;

(ii) [2][an order imposing any of the penalties specified in Rule 8, whether made by the Disciplinary Authority or by an Appellate Authority or Revising Authority.]

(iii) an order enhancing any penalty, imposed under Rule 8;

(iv) an order which –

(a) denies or varies to his disadvantage his pay, allowances, pension or other conditions of service as regulated by rules or by agreement; or

(b) interprets to his disadvantage the provisions of any such rule or agreement;

---

[1]Substituted vide Notification No. 2/5(1)/91-V dated 27.03.1996 – S.O. No. 1241 dated 20.04.1996

[2]Substituted vide Notification No. E. 14015/1/2012-IV dated 06.03.2013 – S.O. No. 830(E) dated 26.03.2013

(v) कोई आदेश जो -

(क) काल वेतन मान में दक्षता रोध पर उसे इस आधार पर रोक देता है कि वह रोध पार करने के योग्य नही है;

(ख) जब कि वह उच्चतर श्रेणी या पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, निम्नतर श्रेणी या पद पर शास्ति के तौर से अन्यथा प्रतिवर्तित करता है;

(ग) उसके पेंशन को कम करता है या रोकता है या उसकी अधिकतम पेंशन से उसे वंचित करता है जो नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय हो;

(घ) निलम्बन की अवधि के लिए या उस अवधि के लिए जिसके दौरान वह निलम्बनाधीन समझा जाता है या उसके किसी भाग के लिए उसको दिए जाने वाले जीवन निर्वाह और अन्य भत्तों को अवधारित करता है;

(ङ) निलम्बन की अवधि के लिए या उसकी पदच्युति, हटाए जाने या सेवा से अनिवार्य निवृत्ति, के काल वेतन मान या काल वेतन मान के प्रक्रम पर निम्न श्रेणी या पद पर उसकी अवनति की तारीख से उसकी उस श्रेणी या पद पर बहाली या प्रत्यावर्तन की तारीख तक की अवधि जिसे इस प्रयोजन के लिए कार्य पर बिताई गई अवधि के रूप में समझा जाएगा, के लिए उसके वेतन और भत्ते अवधारित करता है;

(च) यह अवधारित करता है कि उसके निलम्बन की तारीख से या सेवा से उसकी पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य निवृत्ति या निम्नतर श्रेणी या पद काल वेतन मान या काल वेतन मान के प्रक्रम की उसकी अवनति की तारीख से उसकी श्रेणी या पद में बहाली या प्रत्यावर्तन की तारीख तक की अवधि को कार्य पर व्यतीत की गई अवधि समझा जाएगा या नहीं।

स्पष्टीकरण: इस नियम में -

(i) ''कर्मचारी'' पद के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी आता है जो अन्तरिक्ष विभाग का कर्मचारी न रह गया हो;

(ii) ''पेंशन'' पद के अन्तर्गत अतिरिक्त पेंशन, उपदान और अन्य कोई अनुवर्ती फायदे भी आते हैं।

(v) an order –

(a) stopping him at the efficiency bar in the time scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar;

(b) reverting him while officiating in a higher grade or post to a lower grade or post, otherwise than as a penalty;

(c) reducing or withholding the pension or denying the maximum pension admissible to him under the Rules;

(d) determining the subsistence and other allowances to be paid to him for the period of suspension or for the period during which he is deemed to be under suspension or for any portion thereof;

(e) determining his pay and allowance for the period of suspension, or for the period from the date of his dismissal, removal or compulsory retirement from service or reduction to a lower grade or post, time-scale or stage in a time-scale of pay, to the date of his reinstatement or restoration to his grade or post shall be treated as a period spent on duty for any purpose;

(f) determining whether or not the period from the date of his suspension or from the date of his dismissal, removal, compulsory retirement from service or reduction to a lower grade or post, time-scale of pay, or stage in a time-scale of pay, to the date of his re-instatement or restoration to his grade or post shall be treated as a period spent on duty for any purpose.

Explanation: In this Rule –

(i) the expression "employee" includes a person who has ceased to be an employee in the Department of Space;

(ii) the expression "pension" includes additional pension, gratuity and any other retirement benefit.

टिप्पण - I : प्रोन्नति के मामले में अधिक्रान्त किए जाने के विरुद्ध अपील इस नियम के खण्ड (iv) के अधिकार क्षेत्र में होगी। अपील प्राधिकारी वह होगा जो नियम 21 में उपदर्शित है।

टिप्पण - II : क्या किसी अपील या अर्जी को उसके प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् वापस लेने दिया जाएगा या नहीं, यह बात ऐसे प्राधिकारी के विवेकाधीन होगी जिसको अपील या अर्जी संबोधित की गई है।

21. अपील प्राधिकारी

(1) कोई कर्मचारी जिसके अन्तर्गत ऐसा कर्मचारी भी आता है जो अन्तरिक्ष विभाग का कर्मचारी नहीं रह गया है, नियम 20 में विनिर्दिष्ट सभी या किसी आदेश के विरुद्ध या तो अनुसूची में या राष्ट्रपति के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को अपील कर सकेगा या जहां ऐसा प्राधिकारी विनिर्दिष्ट न हो वहाँ निम्नलिखित को अपील कर सकेगा -

(i) जहाँ ऐसा कर्मचारी सिविल पद समूह 'क' या सिविल पद समूह 'ख' का धारक है या था, वहाँ -

(क) यदि वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, उक्त प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा किया गया है तो नियुक्त प्राधिकारी को, या

(ख) यदि ऐसा आदेश किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया गया हो, तो राष्ट्र पति को;

(ii) जहाँ ऐसा कर्मचारी किसी सिविल पद समूह 'ग' या सिविल पद समूह 'घ' का धारक है या था, वहाँ उस प्राधिकारी को जिसका अव्यवहित अधीनस्थ वह प्राधिकारी है जिसने वह आदेश किया है, जिससे अपील की गई है।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी -

(i) नियम 15 के अधीन की गई सामान्य कार्यवाही के किसी आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी को होगी जिसका अव्यवहित अधीनस्थ वह प्राधिकारी है जो उस कार्यवाही के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है:

Note-I: An appeal against supersession in the matter of promotion shall fall within the purview of Clause (iv) of this Rule. The Appellate Authority shall be that indicated in Rule 21.

Note-II: Whether an appeal or a petition after it has been presented should be allowed to be withdrawn or not shall be within the discretion of the authority to whom the appeal or petition has been addressed.

21. Appellate Authorities

(1) An employee including an employee who has ceased to be an employee of the Department of Space, may prefer an appeal against all or any of the orders specified in Rule 20 to the authority specified in this behalf either in the Schedule or by a general or special order of the President or, where no such authority is specified –

(i) where such employee is or was a holder of a Civil Post – Group 'A' or a Civil Post – Group 'B':

(a) to the Appointing Authority, where the order appealed against is made by an authority subordinate to it, or

(b) to the President, where such order is made by any other authority;

(ii) where such employee is or was a holder of a Civil Post – Group 'C' or a Civil Post – Group 'D', to the authority to which the authority making the order appealed against is immediately subordinate.

(2) Notwithstanding anything contained in Sub-rule (1) –

(i) an appeal against an order in a common proceeding held under Rule 15 shall lie to the authority to which the authority functioning as the Disciplinary Authority for the purpose of that proceeding is immediately subordinate:

[1][परन्तु जहाँ ऐसा प्राधिकारी जो राष्ट्रपति के अधीनस्थ है, वि[illegible] ऐसे कर्मचारी के विषय में जिस के लिए राष्ट्रपति अपील प्राधिकारी है, उपनियम (i) के खण्ड (1) के उपखण्ड (बी.) के अनुसार, अपील राष्ट्रपति के अधीन माना जायेगा।]

(ii) जहाँ वह व्यक्ति जिसने ऐसा आदेश किया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अपनी पश्चात्वर्ती नियुक्ति के कारण या अन्यथा ऐसे आदेश की बाबत अपील प्राधिकारी हो जाता है, वहाँ ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी को होगी जिसका ऐसा व्यक्ति अव्यवहित अधीनस्थ है।

(3) जहाँ उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन राष्ट्रपति को कोई अपील नहीं होती है वहाँ कर्मचारी नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी शास्ति के विरुद्ध राष्ट्रपति को अपील कर सकेगा, और यदि ऐसे कर्मचारी पर, ऐसी शास्ति किसी संगम, परिसंघ या संघ जो संयुक्त परामर्श से और अनिवार्य माध्यस्थम् स्कीम में भाग ले रहा हो, के कार्यकर्ता के रूप में उसके कार्य से संबंधित क्रियाकलापों की बाबत राष्ट्रपति से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की गई हो।

22. अपील के लिए परिसीमा काल

इस भाग के अधीन की गई कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक ऐसी अपील उस तारीख से जिसको ऐसे आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, की एक प्रति अपीलार्थी को परिदत्त नहीं की गई है, पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर नहीं की जायेगी;

परन्तु अपील प्राधिकारी अपील को उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी उस दशा में ग्रहण कर सकेगा जब कि उसका यह समाधान हो जाए कि समय पर अपील न करने के लिए अपीलार्थी के पास पर्याप्त कारण था।

23. अपील का प्रारूप और अन्तर्वस्तुएं

(1) प्रत्येक व्यक्ति जो अपील कर रहा हो, अपील पृथकतः और स्वयं अपने नाम से करेगा।

[1]दिनांक 06.03.2013 की अधिसूचना सं.ई. 14015/1/2012-IV द्वारा प्रतिस्थापित। दिनांक 26.03.2013 के एस.ओ.सं. 830 (ई)

[1][Provided that where such authority is subordinate to the President in respect of an employee for whom President is the Appellate Authority in terms of Sub-clause (b) of Clause (i) of Sub-rule (1), the appeal shall lie to the President.]

(ii) Where the person who made the order appealed against becomes, by virtue of his subsequent appointment or otherwise, the Appellate Authority in respect of such order, an appeal against such order shall lie to the authority to which such person is immediately subordinate.

(3) An employee may prefer an appeal to the President against an order imposing any of the penalties specified in Rule 8, where no such appeal lies to him under Sub-rule (1) or Sub-rule (2), if such penalty is imposed by any authority other than the President on such employee in respect of his activities connected with his work as an office-bearer of an association, federation or union participating in the Joint Consultation and Compulsory Arbitration Scheme.

22. Period of limitation of appeals

No appeal preferred under this Part shall be entertained unless such appeal is preferred within a period of forty-five days from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the appellant:

Provided that the Appellate Authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

23. Form and contents of appeal

(1) Every person preferring an appeal shall do so separately and in his own name.

[1]Substituted vide Notification No. E. 14015/1/2012-IV dated 06.03.2013 – S.O. No. 830(E) dated 26.03.2013

(2) अपील ऐसे प्राधिकारी को उपस्थापित की जाएगी जिसको अपील होती है और अपीलकर्ता द्वारा एक प्रति उस प्राधिकारी को भेजी जाएगी जिसने वह आदेश किया था जिसके विरुद्ध अपील की गई है। इसमें वे सभी तात्विक कथन और तर्क अन्तर्विष्ट होंगे जिन पर अपीलकर्ता निर्भर करता है। उसमें कोई निरादरपूर्ण और अनुचित भाषा नहीं होगी और वह सद्भावपूर्ण होगी और अपने आप में पूर्ण होगी।

(3) वह प्राधिकारी, जिसने वह आदेश किया था जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अपील की एक प्रति प्राप्त होने पर उस पर अपनी टीका-टिप्पणी सहित और उसके साथ सुसंगत अभिलेख किसी परिहार्य विलम्ब के बिना और अपील प्राधिकारी से किसी निदेश के लिए प्रतीक्षा किए बिना अपील प्राधिकारी को भेजेंगे।

24. अपील पर विचार किया जाना

(1) निलम्बन के किसी आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में अपील प्राधिकारी यह विचार करेगा कि क्या नियम 7 के उपबन्धों की दृष्टि में और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निलम्बन आदेश न्यायोचित है या नहीं और तदनुसार आदेश की पुष्टि या प्रतिसंहरित/रद्द करेगा।

(2) नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने वाले या उक्त नियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति को वर्द्धित करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि -

(क) क्या इन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन किया है और यदि नहीं तो क्या ऐसे अनुपालन के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के किन्हीं उपबन्धों का अतिक्रमण या अन्याय हुआ है;

(ख) क्या अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्ष उस साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं जो अभिलेख पर है; और

(ग) क्या वह शास्ति या वर्द्धित शास्ति जो अधिरोपित की गई है, पर्याप्त, अपर्याप्त, या कठोर है,

(2) The appeal shall be presented to the authority to whom the appeal lies, a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against. It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies, shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete in itself.

(3) The authority which made the order appealed against shall, on receipt of a copy of the appeal, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the Appellate Authority without any avoidable delay, and without waiting for any direction from the Appellate Authority.

24. Consideration of appeal

(1) In the case of an appeal against an order of suspension, the Appellate Authority shall consider whether in the light of the provisions of Rule 7, and having regard to the circumstances of the case, the order of suspension is justified or not and confirm or revoke the order accordingly.

(2) In the case of an appeal against an order imposing any of the penalties specified in Rule 8, or enhancing any penalty imposed under the said Rule, the Appellate Authority shall consider –

(a) whether the procedure laid down in these Rules has been complied with and if not, whether such non-compliance has resulted in the violation of any provisions of the Constitution of India or in the failure of justice;

(b) whether the findings of the Disciplinary Authority are warranted by the evidence on the record; and

(c) whether the penalty or the enhanced penalty imposed is adequate, inadequate or severe;

और वह व्यक्ति -

(i) शास्ति को पुष्ट, वर्द्धित, कम या अपास्त करने वाले आदेश पारित करेगा; या

(ii) मामले को उस प्राधिकारी को जिसने शास्ति अधिरोपित की थी या वर्द्धित की थी या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसे निदेश के साथ जैसे वह मामले की परिस्थियों में ठीक समझे, प्रेषित करने वाले आदेश पारित करेगा;

परन्तु -

(i) उन सभी मामलों में आयोग से परामर्श किया जाएगा जिनमें ऐसा परामर्श आवश्यक हो;

(ii) [1][यदि वह वर्द्धित शास्ति, जिसको अधिरोपित करने का प्रस्ताव अपील प्राधिकारी करता है, नियम 8 के खण्ड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति है और नियम 11 के अधीन कोई जाँच पहले से नहीं की जा चुकी है, तो अपील प्राधिकारी नियम 16 के उपबन्धों के अधीन करते हुए ऐसी जाँच स्वयं करेगा या वह निदेश देगा कि नियम 11 के उपबन्धों के अनुसार ऐसी जाँच की जाए और तत्पश्चात् ऐसी जाँच की कार्यवाहियों पर विचार करेगा और ऐसे आदेश करेगा जैसे वह ठीक समझे।]

[2][(iii) यदि वह वर्द्धित शास्ति जिसे अपील प्राधिकारी अधिरोपित करने का प्रस्ताव करता है, नियम 8 के खण्ड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति है और उस मामले में नियम 11 के अधीन जाँच पहले से ही की जा चुकी है, तो अपील प्राधिकारी, अपीलकर्ता को प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उचित समय देने के बाद, ऐसे आदेश करेगा जिन्हें वह ठीक समझे]; और

(iv) किसी अन्य मामले में, वर्द्धित शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को ऐसी

[1]दिनांक 06.03.2013 की अधिसूचना सं.ई. 14015/1/2012-IV द्वारा प्रतिस्थापित। दिनांक 26.03.2013 के एस.ओ.सं. 830 (ई)

[2]दिनांक 27.03.1996 की अधिसूचना सं. 2/5(1)/91-v के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। एस.ओ.सं. 1241 दिनांक 20.04.1996

and pass orders –

(i) confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty; or

(ii) remitting the case to the authority which imposed or enhanced the penalty or to any other authority with such direction as it may deem fit in the circumstances of the case:

Provided that –

(i) the Commission shall be consulted in all cases where such consultation is necessary;

(ii) [1][if such enhanced penalty which the Appellate Authority proposes to impose is one of the penalties specified in Clauses (v) to (ix) of Rule 8 and an inquiry under Rule 11 has not already been held in the case, the Appellate Authority shall, subject to the provisions of Rule 16, itself hold such inquiry or direct that such inquiry be held in accordance with the provisions of Rule 11 and thereafter, on a consideration of the proceedings of such inquiry and make such orders as it may deem fit.]

[2][(iii) if the enhanced penalty which the Appellate Authority proposes to impose is one of the penalties specified in Clauses (v) to (ix) of Rule 8 and an inquiry under Rule 11 has been held in the case, the Appellate Authority shall make such orders as it may deem fit after the appellant has been given a reasonable opportunity of making a representation against the proposed penalty]; and

(iv) no order imposing an enhanced penalty shall be made in any other case unless the appellant has been given a reasonable

[1]Substituted vide Notification No. E. 14015/1/2012-IV dated 06.03.2013 – S.O. No. 830(E) dated 26.03.2013

[2]Substituted vide Notification No.2/5(1)/91-V dated 27.03.1996 – S.O. No. 1241 dated 20.04.1996

वर्द्धित शास्ति के विरुद्ध नियम 13 के उपबन्धों के अनुसार यथाशक्य अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो।

(3) नियम 20 में विनिर्दिष्ट किसी अन्य आदेश के विरुद्ध अपील में, अपील प्राधिकारी सभी परिस्थितियों पर विचार करेगा और ऐसे आदेश करेगा जिसे वह न्यायसंगत और साम्यपूर्ण समझे।

25. अपील में आदेशों का कार्यान्वयन

वह प्राधिकारी जिसने ऐसा आदेश किया था जिसके विरुद्ध अपील की थी, अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों को प्रभावी करेगा।

[1][भाग VIII : परिशोधन और समीक्षा]

26. [1][परिशोधन]

(1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी -

(i) राष्ट्रपति या

(ii) ऐसे कर्मचारी के मामले में जो अन्तरिक्ष विभाग के अध्यक्ष के नियन्त्रण के अधीन किसी विभाग या कार्यालय में सेवा कर रहा है, अन्तरिक्ष विभाग का प्रत्यक्षतः अधीन विभागाध्यक्ष, या

(iii) जिस आदेश के [1][परिशोधित] के लिए प्रस्ताव किया गया है उसकी तारीख से 6 माह के भीतर अपील प्राधिकारी, या

(iv) राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी और ऐसे समय के भीतर जो ऐसे साधारण या विशेष आदेश में विहित किया जाए,

स्वप्रेरणा पर या अन्यथा किसी जाँच के अभिलेख को किसी भी समय मंगा सकेगा और किसी भी ऐसे आदेश का जो इन नियमों के अधीन किया गया है और जिसके

[1]दिनांक 20.10.1986 की अधिसूचना सं. 2/5(2)/86-V के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। एस.ओ.सं. 3874 दिनांक 15.11.1986

opportunity, as far as may be, in accordance with the provisions of Rule 13, of making a representation against such enhanced penalty.

(3) In an appeal against any other order specified in Rule 20, the Appellate Authority shall consider all the circumstances of the case and make such orders as it may deem just and equitable.

25. Implementation of orders in appeal

The authority which made the order appealed against shall give effect to the orders passed by the Appellate Authority.

[1][PART – VIII: REVISION AND REVIEW]

26. [1][Revision]

(1) Notwithstanding anything contained in these Rules –

(i) the President, or

(ii) the Head of a Department directly under the Department of Space, in the case of an employee serving in a Department or Office under the control of such Head of a Department, or

(iii) the Appellate Authority, within six months of the date of the order proposed to be [1][revised], or

(iv) any other authority specified in this behalf by the President by a general or special order, and within such time as may be prescribed in such general or special order,

may, at any time, either on his or its own motion or otherwise call for the records of any inquiry and

[1]Substituted vide Notification No. 2/5(2)/86-V dated 20.10.1986 – S.O. No. 3874 dated 15.11.1986

विरुद्ध अपील हो सकती है किन्तु कोई अपील नहीं की गई है या जहाँ आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो वहाँ उससे परामर्श करने के पश्चात् कोई अपील अनुज्ञात नहीं है, [1][परिशोधित] कर सकेगा और, -

(क) आदेश को पुष्ट, उपान्तरित या अपास्त कर सकेगा; या

(ख) आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को पुष्ट, कम, वर्द्धित या अपास्त कर सकेगा या जहाँ कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की गई हो, वहाँ शास्ति अधिरोपित कर सकेगा; या

(ग) मामले को उस प्राधिकारी को जिसने यह आदेश किया है या किसी अन्य प्राधिकारी को इस निदेश के साथ प्रेषित कर सकेगा कि ऐसा प्राधिकारी ऐसी अतिरिक्त जाँच करे जिसे वह उस मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, या

(घ) ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे;

[2][परन्तु किसी परिशोधन प्राधिकारी के द्वारा शास्ति अधिरोपित या वर्द्धित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक सम्बद्ध कर्मचारी को प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और जहाँ नियम 8 के खण्ड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति या उस आदेश द्वारा जिसका परिशोधन, चाहा गया है, अधिरोपित शास्ति को उन खण्डों में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी शास्ति के रूप में वर्द्धित करने का प्रस्ताव हो, और यदि मामले में नियम 11 के तहत जाँच नहीं की गई हो, वहाँ ऐसी शास्ति, नियम 16 के प्रावधानों के तहत नियम 11 में अधिकथित रीति से जाँच किए बिना और जाँच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध संबद्ध कर्मचारी को कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना तथा जहाँ आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो वहाँ आयोग से परामर्श किए बिना ऐसी शास्ति, अधिरोपित नहीं की जाएगी।]

---

[1]दिनांक 20.10.1986 की अधिसूचना सं. 2/5(2)/86-V के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। एस.ओ.सं. 3874 दिनांक 15.11.1986

[2]दिनांक 06.03.2013 की अधिसूचना सं.ई. 14015/1/2012-IV द्वारा प्रतिस्थापित। दिनांक 26.03.2013 के एस.ओ.सं. 830 (ई)

[1][revise] any order made under these Rules from which an appeal is allowed, but from which no appeal has been preferred or from which no appeal is allowed, after consultation with the Commission where such consultation is necessary, and may –

(a) confirm, modify or set aside the order; or

(b) confirm, reduce, enhance or set aside the penalty imposed by the order, or impose any penalty where no penalty has been imposed; or

(c) remit the case to the authority which made the order or to any other authority directing such authority to make such further inquiry as it may consider proper in the circumstances of the case; or

(d) pass such other order as it may deem fit:

[2][Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by any revising authority unless the employee concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed and where it is proposed to impose any of the penalties specified in Clauses (v) to (ix) of Rule 8 or to enhance the penalty imposed by the order sought to be revised to any of the penalties specified in those Clauses, and if an inquiry under Rule 11 has not already been held in the case, no such penalty shall be imposed except after an inquiry in the manner laid down in Rule 11 subject to the provisions of Rule 16, and except after consultation with the Commission where such consultation is necessary.]

---

[1]Substituted vide Notification No. 2/5(2)/86-V dated 20.10.1986 – S.O. No. 3874 dated 15.11.1986

[2]Substituted vide Notification No. E. 14015/1/2012-IV dated 06.03.2013 – S.O. No. 830(E) dated 26.03.2013

परन्तु आगे भी विभागाध्यक्ष द्वारा [1][परिशोधन की शक्ति] का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि -

(i) वह प्राधिकारी जिसने अपील में आदेश किया है, या

(ii) जहाँ कोई अपील नहीं की गई हो, वहाँ वह प्राधिकारी जिसको अपील की जाती हो, उसके अधीनस्थ हो।

(2) [1][परिशोधन] की कार्यवाही तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक कि -

(i) अपील का परिसीमाकाल समाप्त न हो जाए, या

(ii) जहाँ अपील की गई हो वहाँ अपील का निपटारा न हो गया हो।

(3) [1][परिशोधन] आवेदन का निपटारा ऐसी रीति से किया जाएगा मानो वह इन नियमों के अधीन कोई अपील हो।

[2][26-क पुनरीक्षण

राष्ट्रपति, किसी भी समय स्वप्रेरणा पर या अन्यथा, इन नियमों के अन्तर्गत पारित किसी आदेश का पुनरीक्षण कर सकेंगे, जब कोई साक्ष्य या नई चीज जो पुनरीक्षण के अधीन आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर पाये या उपलब्ध नहीं करा सके और जिसमें मामले की प्रकृति को ही बदलने का विचार उसके ध्यान में आये या लाया जाये।

परन्तु राष्ट्रपति द्वारा शास्ति अधिरोपित या वर्द्धित करनेवाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध सरकारी कर्मचारी को प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और जहाँ नियम 8 में विनिर्दिष्ट प्रमुख शास्तियों में से कोई शास्ति या उस आदेश द्वारा अधिरोपित लघु शास्ति को कोई प्रमुख शास्ति के रूप में वर्द्धित करने के लिए पुनरीक्षण चाहा गया हो और यदि पहले ही मामले में नियम 11 के अधीन जाँच नहीं की गयी हो, और जब

[1]दिनांक 20.10.1986 की अधिसूचना सं. 2/5(2)/86-V के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। एस.ओ.सं. 3874 दिनांक 15.11.1986

[2]दिनांक 20.10.1986 की अधिसूचना सं. 2/5(2)/86-V के द्वारा जोड़ा गया है। एस.ओ.सं. 3874 दिनांक 15.11.1986

Provided further that no [1][power of revision] shall be exercised by the Head of the Department unless –

(i) the authority which made the order in appeal, or

(ii) the authority to which an appeal would lie where no appeal has been preferred, is subordinate to him.

(2) No proceeding for 1[revision] shall be commenced until after –

(i) the expiry of the period of limitation for an appeal, or

(ii) the disposal of the appeal where any such appeal has been preferred.

(3) An application for 1[revision] shall be dealt with in the same manner as if it were an appeal under these Rules.

[2][26-A Review

The President may, at any time, either on his own motion or otherwise, review any order passed under these Rules, when any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the order under review and which has the effect of changing the nature of the case, has come, or has been brought, to his notice:

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by the President unless the Government servant concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed or where it is proposed to impose any of the major penalties specified in Rule 8 or to enhance the minor penalty imposed by the order sought to be reviewed to any of the major penalties and if an inquiry under Rule 11 has not already been held in the case, no such penalty shall be imposed except after

[1]Substituted vide Notification No. 2/5(2)/86-V dated 20.10.1986 – S.O. No. 3874 dated 15.11.1986

[2]Inserted vide Notification No. 2/5(2)/86-V dated 20.10.1986 – S.O. No. 3874 dated 15.11.1986

तक नियम 16 के प्रावधानों के शर्त पर नियम 11 में निर्धारित रीति से जाँच किए बिना, तथा जहाँ आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो, वहाँ ऐसे परामर्श किए बिना ऐसी शास्ति, अधिरोपित नहीं की जायेगी।]

भाग IX : विविध

27. आदेशों, सूचनाओं आदि की तामील

इन नियमों के अधीन किए गए या जारी किए गए प्रत्येक आदेश सूचना और अन्य आदेशिका की तामील संबद्ध कर्मचारी पर वैयक्तिक रूप से की जाएगी या उसकी संसूचना उसे पंजीकृत डाक द्वारा दी जाएगी।

28. समय परिसीमा को शिथिल करने और विलम्ब को माफ करने का अधिकार

इन नियमों में अभिव्यक्ततः अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इन नियमों के अधीन कोई आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी समुचित और पर्याप्त कारणों से, या यदि पर्याप्त कारण दर्शित किया जाए, ऐसी किसी बात के लिए जिसका किया जाना इन नियमों के अधीन अपेक्षित है, इन नियमों में विनिर्दिष्ट समय को बढ़ा सकेगा या विलम्ब को माफ कर सकेगा।

29. आयोग की सलाह की प्रति की आपूर्ति

जब कभी इन नियमों में उपबन्धित रूप से परामर्श किया जाए, तब आयोग की सलाह की एक प्रति और जहाँ ऐसी सलाह नहीं मानी गई है, वहाँ न मानने के लिए कारण का संक्षेप कथन भी संबद्ध कर्मचारी को आदेश करने वाले प्राधिकारी द्वारा उस मामले में पारित आदेश की एक प्रति के साथ दिया जाएगा।

30. शंकाओं का निराकरण

यदि इन नियमों के उपबन्धों से किसी के निर्वचन के बारे में कोई शंका उत्पन्न होती है तो मामला राष्ट्रपति को या ऐसे अन्य प्राधिकारी को जिसे राष्ट्रपति द्वारा साधारण या विशेष आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, निर्दिष्ट किया जाएगा और राष्ट्रपति या ऐसा अन्य प्राधिकारी उसका विनिश्चय करेगा।

in the manner laid down in Rule 11, subject to the provisions of Rule 16, and except after consultation with the Commission where such consultation is necessary.]

PART – IX: MISCELLANEOUS

27. Service of orders, notices, etc.

Every order, notice and other process made or issued under these Rules shall be served in person on the employee concerned or communicated to him by registered post.

28. Power to relax time-limit and to condone delay

Save as otherwise expressly provided in these Rules, the authority competent under these Rules to make any order may, for good and sufficient reasons or if sufficient cause is shown, extend the time specified in these Rules for anything required to be done under these Rules or condone any delay.

29. Supply of copy of Commission's advice

Whenever the Commission is consulted as provided in these Rules, a copy of the advice by the Commission and where such advice has not been accepted, also a brief statement of the reasons for such non-acceptance, shall be furnished to the employee concerned along with a copy of the order passed in the case, by the authority making the order.

30. Removal of doubts

If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these Rules, the matter shall be referred to the President or such other authority as may be specified by the President by general or special order, and the President or such other authority shall decide the same.

[1]अन्तरिक्ष विभाग के अन्तर्गत आनेवाले सिविल पदों का वर्गीकरण

क्र. सं.	पदों का वर्णन	पदों का वर्गीकरण
1	2	3
1(क) (ख)	शीर्ष वेतन मान (₹ 80000 निर्धारित), उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी प्लस वेतन मान (एचएजीअ) (₹ 75500-80000) *और* उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी वेतन (एचएजी) (₹ 67000-79000); और निम्नलिखित श्रेणी वेतन वाले पदः- वेतन बैण्ड-4 में ₹ 37400-67000 के वेतन मान में ₹ 10000, ₹ 8900 तथा ₹ 8700 और वेतन बैण्ड-3 में ₹ 15600-39100 के वेतन मान में ₹ 7600, 6600 तथा ₹ 5400	समूह 'क'
2	निम्नलिखित श्रेणी वेतन वाले पदः- वेतन बैण्ड-2 में ₹ 9300-34800 के वेतन मान में ₹ 5400, 4800, 4600 तथा ₹ 4200	समूह 'ख'
3	निम्नलिखित श्रेणी वेतन वाले पदः- वेतन बैण्ड-1 में ₹5200-20200 के वेतन मान में ₹ 2800, 2400, 2000, 1900 तथा ₹ 1800	समूह 'ग'
4	निम्नलिखित श्रेणी वेतन वाले पदः- वेतन बैण्ड-1 एस में ₹ 4440-7440 के वेतन मान में ₹ 1300, 1400, 1600 तथा ₹ 1650	समूह 'घ' (जब तक पदों का उन्नयन न हो)

स्पष्टीकरणः इस वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु, किसी पद से संबंधित वेतन बैण्ड का अर्थ है, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 की प्रथम सूची के कालम 5 के भाग-क, खण्ड 1 में विनिर्दिष्ट चालू वेतन बैण्ड ।

[1]दिनांक 06.03.2013 की अधिसूचना सं.ई. 14015/1/2012-IV द्वारा प्रतिस्थापित किया गया । दिनांक 26.03.2013 एस.ओ.सं. 830 (ई.)

[1]Classification of Civil Posts under the Department of Space

Sl. No.	Description of posts	Classification of posts
(1)	(2)	(3)
1(a) (b)	Post in Apex Scale (₹ 80000 fixed), Higher Administrative Grade *plus* scale (HAG+) (₹ 75500-80000) and Higher Administrative Grade scale (HAG) (₹ 67000-79000); and Post carrying the following Grade Pays: ₹ 10000, ₹ 8900 and ₹ 8700 in the scale of pay of ₹ 37400-67000 in Pay Band-4, and ₹ 7600, ₹6600 and ₹5400 in the scale of pay of ₹15600-39100 in Pay Band-3.	Group 'A'
2	Post carrying the following Grade Pays: ₹ 5400, ₹ 4800, ₹ 4600 and ₹ 4200 in the scale of pay of ₹ 9300-34800 in Pay Band-2.	Group 'B'
3	Post carrying the following Grade Pays: ₹ 2800, ₹ 2400, ₹ 2000, ₹ 1900 and ₹ 1800 in the scale of pay of ₹ 5200-20200 in Pay Band-1.	Group 'C'
4	Post carrying the following Grade Pays: ₹ 1300, ₹ 1400, ₹ 1600 and ₹ 1650 in the scale of pay of ₹ 4440-7440 in –1S scale.	Group 'D' (till the posts are upgraded)

Explanation: For the purpose of this classification, Pay Band, in relation to a post, means the running Pay Bands specified in Part-A, Section I of Column 5 of the First Schedule to the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008.

[1]Substituted vide Notification No. E. 14015/1/2012-IV dated 06.03.2013 – S.O. No. 830(E) dated 26.03.2013

[1]अनुसूची

[नियम 6, 9(2) व 21(1) को दखें]

अन्तरिक्ष विभाग (अं.वि.) सचिवालय				
पदों का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ती लगाने वाला सक्षम प्राधिकारी और उसके द्वारा लगाये जानेवाली शास्तियाँ (नियम 8 के संदर्भ में)		अपीलीय प्राधिकारी
		प्राधिकारी	शास्ती	
1	2	3	4	5
समूह ख	संयुक्त सचिव	संयुक्त सचिव	सभी	सचिव
		उप सचिव /निदेशक	(i) से (iv)	संयुक्त सचिव
समूह ग	उप सचिव /निदेशक : उप सचिव /निदेशक नहीं हो तो, संयुक्त सचिव	उप सचिव /निदेशक : उप सचिव /निदेशक नहीं हो तो, संयुक्त सचिव	सभी	उप सचिव /निदेशक नियुक्ति प्राधिकारी हो तो, संयुक्त सचिव; व संयुक्त सचिव नियुक्ति प्राधिकारी हो तो, सचिव
		अवर सचिव	(i) से (iv)	उप सचिव /निदेशक नियुक्ति प्राधिकारी हो तो, संयुक्त सचिव; व संयुक्त सचिव नियुक्ति प्राधिकारी हो तो, सचिव
समूह घ	अवर सचिव	अवर सचिव	सभी	उप सचिव /निदेशक : उप सचिव /निदेशक नहीं हो तो, संयुक्त सचिव

[1] दिनांक 06.03.2012 की अधिसूचना संख्या ई. 14015/1/2012-IV के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया । दिनांक 26.03.2013 एस.ओ. संख्या 830(ई)

40

[1]SCHEDULE

[See Rules 6, 9(2) and 21(1)]

DEPARTMENT OF SPACE (DOS) SECRETARIAT				
Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to Rule 8)		Appellate Authority
		Authority	Penalty	
1	2	3	4	5
GROUP B	Joint Secretary	Joint Secretary	All	Secretary
		Deputy Secretary/Director	(i) to (iv)	Joint Secretary
GROUP C	Deputy Secretary/ Director; and Joint Secretary if there is no Deputy Secretary/Director	Deputy Secretary/Director; and Joint Secretary if there is no Deputy Secretary/Director	All	Joint Secretary, if Deputy Secretary/ Director is the Appointing Authority; and Secretary, if Joint Secretary is the Appointing Authority
		Under Secretary	(i) to (iv)	Joint Secretary, if Deputy Secretary/ Director is the Appointing Authority; and Secretary, if Joint Secretary is the Appointing Authority
GROUP D	Under Secretary	Under Secretary	All	Deputy Secretary/Director; and Joint Secretary if there is no Deputy Secretary/Director

[1]Substituted vide Notification No. E. 14015/1/2012-IV dated 06.03.2013 – S.O. No. 830(E) dated 26.03.2013

अन्तरिक्ष विभाग (लेखा), बेंगलूर

पदों का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ती लगाने वाला सक्षम प्राधिकारी और उसके द्वारा लगाये जानेवाली शास्तियाँ (नियम 8 के संदर्भ में)		अपीलीय प्राधिकारी
		प्राधिकारी	शास्ती	
1	2	3	4	5
समूह ख	मुख्य लेखा नियंत्रक	मुख्य लेखा नियंत्रक	सभी	अपर सचिव, अन्तरिक्ष विभाग
समूह ग	मुख्य लेखा नियंत्रक	मुख्य लेखा नियंत्रक	सभी	अपर सचिव, अन्तरिक्ष विभाग
		वेतन व लेखा अधिकारी	(i) से (iv)	मुख्य लेखा नियंत्रक
समूह घ	वेतन व लेखा अधिकारी	वेतन व लेखा अधिकारी	सभी	मुख्य लेखा नियंत्रक

DEPARTMENT OF SPACE (ACCOUNTS), BANGALORE

	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to Rule 8)		Appellate Authority
		Authority	Penalty	
1	2	3	4	5
GROUP B	Chief Controller of Accounts	Chief Controller of Accounts	All	Additional Secretary, Department of Space
GROUP C	Chief Controller of Accounts	Chief Controller of Accounts	All	Additional Secretary, Department of Space
		Pay and Accounts Officer	(i) to (iv)	Chief Controller of Accounts
GROUP D	Pay and Accounts Officer	Pay and Accounts Officer	All	Chief Controller of Accounts

अन्तरिक्ष विभाग (लेखा परीक्षा), बेंगलूर

पदों का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ती लगाने वाला सक्षम प्राधिकारी और उसके द्वारा लगाये जानेवाली शास्तियाँ (नियम 8 के संदर्भ में)		अपीलीय प्राधिकारी
		प्राधिकारी	शास्ती	
1	2	3	4	5
समूह ख	मुख्य लेखा नियंत्रक	मुख्य लेखा नियंत्रक	सभी	अपर सचिव, अन्तरिक्ष विभाग
समूह ग	वरिष्ठ प्रधान (लेखा परीक्षा)	वरिष्ठ प्रधान (लेखा परीक्षा)	सभी	मुख्य लेखा नियंत्रक
		वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी	(i) से (iv)	वरिष्ठ प्रधान (लेखा परीक्षा)
समूह घ	वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी	वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी	सभी	वरिष्ठ प्रधान (लेखा परीक्षा)

DEPARTMENT OF SPACE (AUDIT), BANGALORE

	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to Rule 8)		Appellate Authority
		Authority	Penalty	
1	2	3	4	5
GROUP B	Chief Controller of Accounts	Chief Controller of Accounts	All	Additional Secretary, Department of Space
GROUP C	Sr. Head (Audit)	Sr. Head (Audit)	All	Chief Controller of Accounts
		Sr. Audit Officer	(i) to (iv)	Sr. Head (Audit)
GROUP D	Sr. Audit Officer	Sr. Audit Officer	All	Sr. Head (Audit)

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मुख्यालय

(इसके नियंत्रण में आने वाले सभी सेल, यूनिटों आदि सहित)

पदों का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ती लगाने वाला सक्षम प्राधिकारी और उसके द्वारा लगाये जानेवाली शास्तियाँ (नियम 8 के संदर्भ में)		अपीलीय प्राधिकारी
		प्राधिकारी	शास्ती	
1	2	3	4	5
समूह ख (i) वैज्ञानिक व तकनीकी पद	वैज्ञानिक सचिव	वैज्ञानिक सचिव	सभी	अध्यक्ष
(ii) प्रशासनिक व अन्य पद	वैज्ञानिक सचिव	वैज्ञानिक सचिव	सभी	अध्यक्ष
		व. प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन/प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन/विशेष कार्य अधिकारी	(i) से (iv)	वैज्ञानिक सचिव
समूह ग	व. प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन/प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन/विशेष कार्य अधिकारी	व. प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन/प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन/विशेष कार्य अधिकारी	सभी	वैज्ञानिक सचिव
		व. प्रशासन अधिकारी	(i) से (iv)	व.प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन/प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन/विशेष कार्य अधिकारी
समूह घ	व. प्रशासन अधिकारी	व. प्रशासन अधिकारी	सभी	व.प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन/प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन/विशेष कार्य अधिकारी

INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION (ISRO) HEADQUARTERS

(including all Cells, Units, etc., under its control)

Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to Rule 8)		Appellate Authority
		Authority	Penalty	
1	2	3	4	5
GROUP B (i) Scientific & Technical posts	Scientific Secretary	Scientific Secretary	All	Chairman
(ii) Administrative & other posts	Scientific Secretary	Scientific Secretary	All	Chairman
		Sr. Head, Personnel and General Administration/ Head, Personnel and General Administration/ Officer on Special Duty	(i) to (iv)	Scientific Secretary
GROUP C	Sr. Head, Personnel and General Administration/ Head, Personnel and General Administration/ Officer on Special Duty	Sr. Head, Personnel and General Administration/ Head, Personnel and General Administration/ Officer on Special Duty	All	Scientific Secretary
		Sr. Administrative Officer	(i) to (iv)	Sr. Head, Personnel and General Administration/Head, Personnel and General Administration/Officer on Special Duty
GROUP D	Sr. Administrative Officer	Sr. Administrative Officer	All	Sr. Head, Personnel and General Administration/Head, Personnel and General Administration/Officer on Special Duty

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र (वी.एस.एस.सी.)

(इसके नियंत्रण में आने वाले सभी यूनिटों/प्रभाग आदि सहित)

पदों का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ती लगाने वाला सक्षम प्राधिकारी और उसके द्वारा लगाये जानेवाली शास्तियाँ (नियम ८ के संदर्भ में)		अपीलीय प्राधिकारी
		प्राधिकारी	शास्ती	
1	2	3	4	5
समूह ख (i) वैज्ञानिक व तकनीकी पद	निदेशक	निदेशक	सभी	अध्यक्ष
		सह निदेशक/मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक	(i) से (iv)	निदेशक
(ii) प्रशासनिक व अन्य पद	मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक	मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक	सभी	निदेशक
		व.प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन/प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन	(i) से (iv)	मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक
समूह ग	व. प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन/प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन	व. प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन/प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन	सभी	मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक
		व. प्रशासन अधिकारी	(i) से (iv)	व. प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन/प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन
समूह घ	व. प्रशासन अधिकारी	व. प्रशासन अधिकारी	सभी	व. प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन/प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन

VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE (VSSC)

(including all Units/Divisions, etc., under its control)

Description of Post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to Rule 8)		Appellate Authority
		Authority	Penalty	
1	2	3	4	5
GROUP B (i) Scientific & Technical posts	Director	Director	All	Chairman
		Associate Director/ Chief Controller/Controller	(i) to (iv)	Director
(ii) Administrative & other posts	Chief Controller/ Controller	Chief Controller/Controller	All	Director
		Sr. Head, Personnel and General Administration/Head, Personnel and General Administration	(i) to (iv)	Chief Controller/Controller
GROUP C	Sr. Head, Personnel and General Administration/ Head, Personnel and General Administration	Sr. Head, Personnel and General Administration/Head, Personnel and General Administration	All	Chief Controller/Controller
		Sr. Administrative Officer	(i) to (iv)	Sr. Head, Personnel and General Administration/Head, Personnel and General Administration
GROUP D	Sr. Administrative Officer	Sr. Administrative Officer	All	Sr. Head, Personnel and General Administration/Head, Personnel and General Administration

सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र-श्रीहरिकोटा (एस.डी.एस.सी.-शार)

पदों का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ती लगाने वाला सक्षम प्राधिकारी और उसके द्वारा लगाये जानेवाली शास्तियाँ (नियम ८ के संदर्भ में)		अपीलीय प्राधिकारी
		प्राधिकारी	शास्ती	
1	2	3	4	5
समूह ख (i) वैज्ञानिक व तकनीकी पद	निदेशक	निदेशक	सभी	अध्यक्ष
		सह निदेशक/नियंत्रक	(i) से (iv)	निदेशक
(ii) प्रशासनिक व अन्य पद	नियंत्रक	नियंत्रक	सभी	निदेशक
		प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन	(i) से (iv)	नियंत्रक
समूह ग	प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन	प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन	सभी	नियंत्रक
		व. प्रशासन अधिकारी	(i) से (iv)	प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन
समूह घ	व. प्रशासन अधिकारी	व. प्रशासन अधिकारी	सभी	प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन

SATISH DHAWAN SPACE CENTRE-SRIHARIKOTA (SDSC-SHAR)

Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to Rule 8)		Appellate Authority
		Authority	Penalty	
1	2	3	4	5
GROUP B (i) Scientific & Technical posts	Director	Director	All	Chairman
		Associate Director/ Controller	(i) to (iv)	Director
(ii) Administrative & other posts	Controller	Controller	All	Director
		Head, Personnel and General Administration	(i) to (iv)	Controller
GROUP C	Head, Personnel and General Administration	Head, Personnel and General Administration	All	Controller
		Sr. Administrative Officer	(i) to (iv)	Head, Personnel and General Administration
GROUP D	Sr. Administrative Officer	Sr. Administrative Officer	All	Head, Personnel and General Administration

45

इसरो दूरमिति, अनुवर्तन व आदेश नेटवर्क (इस्ट्रैक)

पदों का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ती लगाने वाला सक्षम प्राधिकारी और उसके द्वारा लगाये जानेवाली शास्तियाँ (नियम 8 के संदर्भ में)		अपीलीय प्राधिकारी
		प्राधिकारी	शास्ती	
1	2	3	4	5
समूह ख (i) वैज्ञानिक व तकनीकी पद	निदेशक	निदेशक	सभी	अध्यक्ष
		सह निदेशक	(i) से (iv)	निदेशक
(ii) प्रशासनिक व अन्य पद	निदेशक	निदेशक	सभी	अध्यक्ष
		प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन	(i) से (iv)	निदेशक
समूह ग	प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन	प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन	सभी	निदेशक
		व. प्रशासन अधिकारी	(i) से (iv)	प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन
समूह घ	व. प्रशासन अधिकारी	व. प्रशासन अधिकारी	सभी	प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन

ISRO TELEMETRY, TRACKING AND COMMAND NETWORK (ISTRAC)

Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to Rule 8)		Appellate Authority
		Authority	Penalty	
1	2	3	4	5
GROUP B (i) Scientific & Technical posts	Director	Director	All	Chairman
		Associate Director	(i) to (iv)	Director
(ii) Administrative & other posts	Director	Director	All	Chairman
		Head, Personnel and General Administration	(i) to (iv)	Director
GROUP C	Head, Personnel and General Administration	Head, Personnel and General Administration	All	Director
		Sr. Administrative Officer	(i) to (iv)	Head, Personnel and General Administration
GROUP D	Sr. Administrative Officer	Sr. Administrative Officer	All	Head, Personnel and General Administration

46

अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (सैक)

पदों का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ती लगाने वाला सक्षम प्राधिकारी और उसके द्वारा लगाये जानेवाली शास्तियाँ (नियम 8 के संदर्भ में)		अपीलीय प्राधिकारी
		प्राधिकारी	शास्ती	
1	2	3	4	5
समूह ख (i) वैज्ञानिक व तकनीकी पद	निदेशक	निदेशक	सभी	अध्यक्ष
		सह निदेशक/नियंत्रक	(i) से (iv)	निदेशक
(ii) प्रशासनिक व अन्य पद	नियंत्रक	नियंत्रक	सभी	निदेशक
		प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन	(i) से (iv)	नियंत्रक
समूह ग	प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन	प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन	सभी	नियंत्रक
		व. प्रशासन अधिकारी	(i) से (iv)	प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन
समूह घ	व. प्रशासन अधिकारी	व. प्रशासन अधिकारी	सभी	प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन

SPACE APPLICATIONS CENTRE (SAC)

Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to Rule 8)		Appellate Authority
		Authority	Penalty	
	2	3	4	5
GROUP B (i) Scientific & Technical posts	Director	Director	All	Chairman
		Associate Director/ Controller	(i) to (iv)	Director
(ii) Administrative & other posts	Controller	Controller	All	Director
		Head, Personnel and General Administration	(i) to (iv)	Controller
GROUP C	Head, Personnel and General Administration	Head, Personnel and General Administration	All	Controller
		Sr. Administrative Officer	(i) to (iv)	Head, Personnel and General Administration
GROUP D	Sr. Administrative Officer	Sr. Administrative Officer	All	Head, Personnel and General Administration

47

इसरो उपग्रह केन्द्र (आईजैक)

पदों का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ती लगाने वाला सक्षम प्राधिकारी और उसके द्वारा लगाये जानेवाली शास्तियाँ (नियम 8 के संदर्भ में)		अपीलीय प्राधिकारी
		प्राधिकारी	शास्ती	
1	2	3	4	5
समूह ख (i) वैज्ञानिक व तकनीकी पद	निदेशक	निदेशक	सभी	अध्यक्ष
		सह निदेशक/नियंत्रक	(i) से (iv)	निदेशक
(ii) प्रशासनिक व अन्य पद	नियंत्रक	नियंत्रक	सभी	निदेशक
		व. प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन/प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन	(i) से (iv)	नियंत्रक
समूह ग	व. प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन/प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन	व. प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन/प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन	सभी	नियंत्रक
		व. प्रशासन अधिकारी	(i) से (iv)	व.प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन/प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन
समूह घ	व. प्रशासन अधिकारी	व. प्रशासन अधिकारी	सभी	व.प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन/प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन

ISRO SATELLITE CENTRE (ISAC)

Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to Rule 8)		Appellate Authority
		Authority	Penalty	
1	2	3	4	5
GROUP B (i) Scientific & Technical posts	Director	Director	All	Chairman
		Associate Director/ Controller	(i) to (iv)	Director
(ii) Administrative & other posts	Controller	Controller	All	Director
		Sr. Head, Personnel and General Administration/Head, Personnel and General Administration	(i) to (iv)	Controller
GROUP C	Sr. Head, Personnel and General Administration/ Head, Personnel and General Administration	Sr. Head, Personnel and General Administration/Head, Personnel and General Administration	All	Controller
		Sr. Administrative Officer	(i) to (iv)	Sr. Head, Personnel and General Administration/Head, Personnel and General Administration
GROUP D	Sr. Administrative Officer	Sr. Administrative Officer	All	Sr. Head, Personnel and General Administration/Head, Personnel and General Administration

48

मुख्य नियंत्रण केन्द्र (एम.सी.एफ.)

पदों का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ती लगाने वाला सक्षम प्राधिकारी और उसके द्वारा लगाये जानेवाली शास्तियाँ (नियम 8 के संदर्भ में)		अपीलीय प्राधिकारी
		प्राधिकारी	शास्ती	
1	2	3	4	5
समूह ख (i) वैज्ञानिक व तकनीकी पद	निदेशक	निदेशक	सभी	सचिव,
		सह निदेशक	(i) से (iv)	निदेशक, अन्तरिक्ष विभाग
(ii) प्रशासनिक व अन्य पद	निदेशक	निदेशक	सभी	सचिव, अन्तरिक्ष विभाग
		प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन/ प्रधान, लेखा व आं.वि.सलाहकार	(i) से (iv)	निदेशक
समूह ग	प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन/ प्रधान, लेखा व आं.वि. सलाहकार	प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन/ प्रधान, लेखा व आं.वि.सलाहकार	सभी	निदेशक
		व. प्रशासन अधिकारी	(i) से (iv)	प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन/ प्रधान, लेखा व आं.वि.सलाहकार
समूह घ	व. प्रशासन अधिकारी	व. प्रशासन अधिकारी	सभी	प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन/ प्रधान, लेखा व आं.वि.सलाहकार

MASTER CONTROL FACILITY (MCF)

Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to Rule 8)		Appellate Authority
		Authority	Penalty	
1	2	3	4	5
GROUP B (i) Scientific & Technical posts	Director	Director	All	Secretary, Department of Space
		Associate Director	(i) to (iv)	Director
(ii) Administrative & other posts	Director	Director	All	Secretary, Department of Space
		Head, Personnel and General Administration/ Head, Accounts & IFA	(i) to (iv)	Director
GROUP C	Head, Personnel and General Administration/ Head, Accounts & IFA	Head, Personnel and General Administration/ Head, Accounts & IFA	All	Director
		Sr. Administrative Officer	(i) to (iv)	Head, Personnel and General Administration/ Head, Accounts & IFA
GROUP D	Sr. Administrative Officer	Sr. Administrative Officer	All	Head, Personnel and General Administration/ Head, Accounts & IFA

द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र (एल.पी.एस.सी.)

पदों का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ती लगाने वाला सक्षम प्राधिकारी और उसके द्वारा लगाये जानेवाली शास्तियाँ (नियम 8 के संदर्भ में)		अपीलीय प्राधिकारी
		प्राधिकारी	शास्ती	
1	2	3	4	5
समूह ख (i) वैज्ञानिक व तकनीकी पद	निदेशक	निदेशक	सभी	अध्यक्ष
		सह निदेशक/नियंत्रक	(i) से (iv)	निदेशक
(ii) प्रशासनिक व अन्य पद	नियंत्रक	नियंत्रक	सभी	निदेशक
		प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन	(i) से (iv)	नियंत्रक
समूह ग	प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन	प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन	सभी	नियंत्रक
		व. प्रशासन अधिकारी	(i) से (iv)	प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन
समूह घ	व. प्रशासन अधिकारी	व. प्रशासन अधिकारी	सभी	प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन

LIQUID PROPULSION SYSTEMS CENTRE (LPSC)

Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to Rule 8)		Appellate Authority
		Authority	Penalty	
1	2	3	4	5
GROUP B (i) Scientific & Technical posts	Director	Director	All	Chairman
		Associate Director/ Controller	(i) to (iv)	Director
(ii) Administrative & other posts	Controller	Controller	All	Director
		Head, Personnel and General Administration	(i) to (iv)	Controller
GROUP C	Head, Personnel and General Administration	Head, Personnel and General Administration	All	Controller
		Sr. Administrative Officer	(i) to (iv)	Head, Personnel and General Administration
GROUP D	Sr. Administrative Officer	Sr. Administrative Officer	All	Head, Personnel and General Administration

50

उन्नत आँकडा संसाधान अनुसंधान संस्थान (एड्रिन)

पदों का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ती लगाने वाला सक्षम प्राधिकारी और उसके द्वारा लगाये जानेवाली शास्तियाँ (नियम 8 के संदर्भ में)		अपीलीय प्राधिकारी
		प्राधिकारी	शास्ती	
1	2	3	4	5
समूह ख (i) वैज्ञानिक व तकनीकी पद	निदेशक	निदेशक	सभी	सचिव, अन्तरिक्ष विभाग
(ii) प्रशासनिक व अन्य पद	रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार	सभी	निदेशक
समूह ग	रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार	सभी	निदेशक
		व. प्रशासन अधिकारी	(i) से (iv)	रजिस्ट्रार
समूह घ	व. प्रशासन अधिकारी	व. प्रशासन अधिकारी	सभी	रजिस्ट्रार

ADVANCED DATA PROCESSING RESEARCH INSTITUTE (ADRIN)

Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to Rule 8)		Appellate Authority
		Authority	Penalty	
1	2	3	4	5
GROUP B (i) Scientific & Technical posts	Director	Director	All	Secretary, Department of Space
(ii) Administrative & other posts	Registrar	Registrar	All	Director
GROUP C	Registrar	Registrar	All	Director
		Sr. Administrative Officer	(i) to (iv)	Registrar
GROUP D	Sr. Administrative Officer	Sr. Administrative Officer	All	Registrar

51

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी.)

(इसके नियंत्रण में आने वाले सभी यूनिटों/प्रभाग आदि सहित)

पदों का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ती लगाने वाला सक्षम प्राधिकारी और उसके द्वारा लगाये जानेवाली शास्तियाँ (नियम 8 के संदर्भ में)		अपीलीय प्राधिकारी
		प्राधिकारी	शास्ती	
1	2	3	4	5
समूह ख (i) वैज्ञानिक व तकनीकी पद	निदेशक	निदेशक	सभी	अध्यक्ष
		सह निदेशक/नियंत्रक	(i) से (iv)	निदेशक
(ii) प्रशासनिक व अन्य पद	नियंत्रक	नियंत्रक	सभी	निदेशक
		प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन	(i) से (iv)	नियंत्रक
समूह ग	प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन	प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन	सभी	नियंत्रक
		व. प्रशासन अधिकारी	(i) से (iv)	प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन
समूह घ	व. प्रशासन अधिकारी	व. प्रशासन अधिकारी	सभी	प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन

NATIONAL REMOTE SENSING CENTRE (NRSC)

(including all Units/Divisions, etc., under its control)

Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to Rule 8)		Appellate Authority
		Authority	Penalty	
1	2	3	4	5
GROUP B (i) Scientific & Technical posts	Director	Director	All	Chairman
		Associate Director/ Controller	(i) to (iv)	Director
(ii) Administrative & other posts	Controller	Controller	All	Director
		Head, Personnel and General Administration	(i) to (iv)	Controller
GROUP C	Head, Personnel and General Administration	Head, Personnel and General Administration	All	Controller
		Sr. Administrative Officer	(i) to (iv)	Head, Personnel and General Administration
GROUP D	Sr. Administrative Officer	Sr. Administrative Officer	All	Head, Personnel and General Administration

52

भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आई.आई.आर.एस.)

(इसके नियंत्रण में आने वाले सभी यूनिटों/प्रभाग आदि सहित)

पदों का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ती लगाने वाला सक्षम प्राधिकारी और उसके द्वारा लगाये जानेवाली शास्तियाँ (नियम 8 के संदर्भ में)		अपीलीय प्राधिकारी
		प्राधिकारी	शास्ती	
1	2	3	4	5
समूह ख (i) वैज्ञानिक व तकनीकी पद	निदेशक	निदेशक	सभी	अध्यक्ष
(ii) प्रशासनिक व अन्य पद	निदेशक	निदेशक	सभी	अध्यक्ष
समूह ग	ग्रूप प्रधान	ग्रूप प्रधान	सभी	निदेशक
समूह घ	ग्रूप प्रधान	ग्रूप प्रधान	सभी	निदेशक

[1] पूरी अनुसूची दिनांक 06.03.2013 की अधिसूचना सं.ई. 14015/1/2012-IV द्वारा प्रतिस्थापित - दिनांक 26.03.2013 एस.ओ.सं. 830(ई)

INDIAN INSTITUTE OF REMOTE SENSING (IIRS)

(including all Units/Divisions, etc., under its control)

Description of Post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to Rule 8)		Appellate Authority
		Authority	Penalty	
1	2	3	4	5
GROUP B (i) Scientific & Technical posts	Director	Director	All	Chairman
(ii) Administrative & other posts	Director	Director	All	Chairman
GROUP C	Group Head	Group Head	All	Director
GROUP D	Group Head	Group Head	All	Director

[1] Substituted vide Notification No. E. 14015/1/2012-IV dated 06.03.2013 – S.O. No. 830(E) dated 26.03.2013

53